विषय सूची

क्र.सं.		पृष्ठ
1.	सतर्कता : समय की आवश्यकता ***बी.बी. वर्मा,*** *विसमुलेधि / पूमरे / हाजीपुर*	02
2.	ई-खरीद : रेलवे के लिए लाभकारी ***पी.के. सिन्हा,*** *उमुसाप्र एवं पूर्व उपमुसताधि (भं.)*	04
3.	आय से अधिक संपत्ति मामले एवं आचरण नियम ***विकास चन्द्र,*** *सीपीएम/आरवीएनएल एवं उपमुसताधि/इंजी.*	07
4.	क्या करें और क्या न करें	15
5.	केस अध्ययन ***एस.एस. राठौर,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भंडार)* ***आर.के. सिंह,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (मेडिकल)* ***रणजीत कुमार,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भंडार)* ***अरुण कुमार,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भंडार)*	20
6.	केस अध्ययन ***मो. जावेद अख़्तर,*** *उप मुख्य सतर्कता अधि. (इंजी.)*	27
7.	केस अध्ययन ***एस.पी.एस. यादव,*** *उप मुख्य सतर्कता अधि. (विद्युत)*	30
8.	केस अध्ययन ***अवधेश कुमार सिन्हा,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (कार्मिक)* ***श्री कुमार ज्ञानजीत,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (लेखा)* ***श्री अमूल कुमार सिंह,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (लेखा)*	33
9.	केस अध्ययन ***श्री के.एन. सहाय,*** *मुख्य सतर्कता निरीक्षक (यातायात)*	37
10.	महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार पत्र	40

CONTENTS

Sl.No.		Page No.
1.	Vigilance - Need of the hour ***B.B. Verma,*** FA & CAO/ECR/Hajipur	02
2.	E-Procurement : Advantageous to Railways ***P.K. Sinha,*** Dy. CMM (C&W) & Ex-Dy CVO (S)	04
3.	Disproportionate Asset Cases & Conduct Rules ***Vikash Chandra,*** CPM/RVNL/Patna & Ex Dy. CVO (E)	07
4.	Do's and Don'ts	15
5.	Case Studies ***S.S. Rathore,*** CVI (Stores) ***R.K. Singh,*** CVI (Medical) ***Ranjeet Kumar,*** CVI (Stores) ***Arun Kumar,*** CVI (Stores)	20
6.	Case Studies ***Md. Jawaid Akhtar,*** Dy CVO (Engg.)	27
7.	Case Studies ***S.P. S. Yadav,*** Dy CVO (Elect)	30
8.	Case Studies ***Awadesh Kumar Sinha,*** CVI (P) ***Sri Kumar Gyanjeet,*** CVI (A) ***Sri Amul Kumar Singh,*** CVI (A)	33
9.	Case Studies ***K.N. Sahay,*** CVI (T)	37
10.	Important System Improvement Letters	40

सतर्कता – समय की आवश्यकता

- **बी.बी. वर्मा**
विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर

भारतीय समाज वर्तमान में मंथन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। आर्थिक प्रगति, वैश्वीकरण, आय का बढ़ता स्तर, शिक्षा का प्रसार, बेहतर संचार व्यवस्था के द्वारा बढ़ती जागरूकता के साथ आमजनों की उम्मीद न केवल अच्छी शासन व्यवस्था अपितु भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी बढ़ी है। लोकपाल बिल के साथ जुड़े हाल के उदाहरण यह इंगित करते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों का गुस्सा बढ़ा है और जनता के बीच भ्रष्टाचार के प्रति सहन शक्ति घटी है।

व्यवस्था में अन्तर, संस्था की कमजोरी अथवा उसमें आन्तरिक नियंत्रण की कमी के कारण भ्रष्टाचार घटित होता है जिसका बाद में भ्रष्ट लोगों के द्वारा अपने फायदे के लिए उपयोग किया जाता है। प्रशासन को प्रणाली की भेद्यता और प्रक्रियाओं की पहचान करनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता के निम्न विभिन्न पहलू हैं-

1. भ्रष्टाचार दो तरह की विकृतियाँ पैदा करता है, पहला वस्तुओं और सेवाओं का सापेक्ष मूल्य निर्धारण क्योंकि मूल्य का निर्धारण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मौजूद भ्रष्टाचार के सापेक्ष स्तर पर निर्भर करता है। दूसरा, मूल्य निर्धारण में विरुपण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन को विरूपित एवं इसके कुशल उपयोग को कम कर देता है। ईमानदार और सही उद्यमियों को यह व्यापार में घुसने से बाहर भी रखता है।
2. अविनियमन हमेशा ही प्रतियोगिता लाता है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में उन्नत विकास के तत्पश्चात कमी लाता है।
3. 'सनसाइन का सिद्धांत' इस सरल तथ्य पर आधारित है कि कोई भी चीज जिस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं लंबे समय तक छिपी हुई और अनदेखी नहीं रह सकती है।
4. 'सनसाइन के सिद्धांत' को सभी सरकारी विभागों में लागू करने की आवश्यकता है। अक्सर भ्रष्टाचार मुख्यतया नियमों, अधिनियमों तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अस्पष्टतयता के कारण घटित होता है।
5. आरटीआई प्रश्नों के माधयम से रहस्योद्घाटन के लिए काम करने के बजाय, सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि यह खुले रुप एवं स्वेच्छा से कार्य करेगा तथा कार्य संबंधी सूचनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए।

VIGILANCE - NEED OF THE HOUR

- B.B.Verma
FA&CAO/ECR/Hajipur

Indian Society is presently going through a churning process. With economic progress, globalization, rising level of income, spread of education, greater awareness through better communication, the expectation of general public has gone up not only for better governance but for removing corruption. The recent instances associated with Lokpal bill indicates that there is a rising anger against corruption & that level of tolerance for corruption is declining amongst the masses.

Corruption happens because of gaps in the system, weakness or inadequacy of internal control in an organization, which is then exploited by the corrupt to their advantage. The administration should identify the vulnerability of the system & procedure & take corrective measure to reduce the scope for corruption. Various aspects of awareness about corruption are:-

1. Corruption creates distortions of two kinds, firstly the relative pricing of goods & services as the prices get determined by relative levels of corruption in production of these goods & services. Secondly the distortion in pricing distorts the allocation of resources in the economy and thereby reducing the efficient use of resources. It also keeps out the honest and genuine entrepreneurs from entering the business.
2. Deregulation always brings in competition and results in improved growth while bringing down the cost of product and service thereafter.
3. 'Sunshine Principle' - is based on a simple premise that anything on which the rays of sun fall directly cannot stay hidden & unnoticed for long.
4. The 'sunshine Principle' needs be applied in all the Govt. deptt. Often corruption occurs mainly due to opacity of rules, regulation & decision making process.
5. Instead of working for revelations through RTI queries, let the Govt. decide that it will function openly and voluntarily, put out information about its functioning in the public domain.

6. चूँकि 'सनसाइन के सिद्धांत' का उपयोग पारदर्शिता लाएगा तथा भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, अत: एक ऐसे उपाय के आरंभ करने की जरूरत है जो सरकारी प्रक्रियाओं में विद्यमान भ्रष्ट तरीकों को खत्म कर देगा।
7. अधिकांश नियमों, अधिनियमों तथा व्यापार और अर्थव्यवस्था के काम-काज को शासित करने वाले कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

यहाँ कार्य प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए लाभकारी तकनीक काफी फायदेमंद हो सकते हैं। भ्रष्ट तौर-तरीकों को कम करने के लिए संस्थाएँ निम्न व्यापक सरल कदम उठा सकती है-

1. नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण। इसे इस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए ताकि सरकारी अधिकारियों के साथ अंतरफल कम से कम हो।
2. दस्तावेजों/लेन-देन की पहुँच में आसानी
3. मजबूत शिकायत निवारण मशीनरी
4. ई-गर्वनेंस के द्वारा सभी सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता
5. सरकारी अधिकारियों तथा बिचौलियों के बीच की भूमिका को निरर्थक बनाना।
6. लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता लाना।

संक्षेपत: भ्रष्टाचार मानव व्यवहार से जुड़ा है जो कि सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। हमें समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच उनके चरित्र निर्माण के रुप में। केवल तभी भ्रष्टाचार को अगर खत्म न करने की तो कम करने की सोच सकते है।

आप जैसे विचार करेंगे, वैसे आप हो जाएँगे। अगर अपने आपको निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएँगे। और यदि आप अपने आपको समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएँगे।

– स्वामी विवेकानंद

6. Since application of 'Sunshine Principle' will bring in transparency & expose corruption, one need to initiate measures that would eliminate the extant corrupt practices in the Govt. processes.
7. There is a need to completely overhaul most of the rules, regulations, and laws governing the functioning of business and the economy. Here leveraging technologies in improving the working processes can be of a great benefit.

   The broad simple step which the organization should take to reduce corrupt practices are:

1. Simplification of rules & procedures. This should be undertaken in such a way that the interface with public officials is kept to the minimum.
2. Ease of access to records/transactions.
3. Strong grievance redressal machinery.
4. Transparency in each process of Govt. through E-Governance.
5. The role of public functionary & intermediaries to be made redundant.
6. Bring in social awareness amongst people.

To sum up corruption is linked with human behavior which also reflects social values. We need to promote ethical values in the society especially, amongst younger generations as a part of their character building. Only then we can hope to reduce if not eliminate corruption.

Corruption and hypocrisy ought not to be inevitable products of democracy, as they undoubtedly are today.

-Mahatma Gandhi

ई –खरीदः रेलवे के लिए लाभकारी

- पी.के. सिन्हा
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक और पूर्व उप मुसताधि (भंडार)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का मुख्य ध्यान खरीद की प्रक्रिया में उचित तरीकों और संसाधनों को निहित कर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। हाल में, आई टी और इंटरनेट की आधुनिक सुविधा के उपयोग के द्वारा ई–निविदा या ई–खरीद एक नयी पद्धति के रूप में विकसित हो रहा है। मानवीय हस्तक्षेप, परिवेदना और शिकायत में कमी लाने के अतिरिक्त ई–खरीद के द्वारा अधिक–से–अधिक दक्षता लाने की उम्मीद है। भारतीय रेल में, ई–खरीद विभिन्न तरह के स्टॉक और गैर स्टॉक मद की खरीद के अलावा अभियंत्रण विभाग के ट्रैक आपूर्ति मदों की खरीद में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाइयों की खरीद में इसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। थोड़े ही समय में वेण्डर और निरीक्षण मानदण्ड (माड्यूल) की शुरुआत की जाएगी और इसे एमएमआईएस (सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली) से जोड़ दिया जाएगा। इससे मांग उत्पन्न होने के चरण से निरीक्षण तक और किसी डिपो में आपूर्ति तक की रिपोटिंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। वह दिन दूर नहीं जब इसे कार्य संविदा और परामर्श संविदा में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

ई–खरीद के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

पारदर्शिता

इसके फलस्वरूप व्यापक पारदर्शिता आई है और शिकायतों में कमी आई है। कोई बोलीदाता विश्व में किसी भी स्थान पर निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है और दर उद्धृत कर सकता है। बोली डालते और खोलते समय उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

निविदा खोलेने के तत्काल बाद सारणीयन विवरण साइट पर प्रदर्शित किया जाता है और इसे किसी भी निविदादाता और रेल उपयोगकर्त्ता द्वारा देखा जा सकता है तथा इस प्रकार प्रणाली की पूर्ण पारदर्शिता प्रदर्शित होती है। इससे अन्य रेलों में खुली दरों को देखकर दरों के औचित्य, अन्य रेलों आदि की विनिर्दिष्टियों, माँग की मात्रा के संबंध में निर्णय लेने में रेल प्रशासन को सहायता मिलती है। निविदा दस्तावेज को वैब पर अपलोड करने, दर उद्धृत करने एवं निविदा खुलने के पहले प्रस्ताव में संशोधन यदि कोई हो तो का सही समय और बोली–आइडी स्टोर हो जाता है और यह डाउनलोड किए गए दस्तावेज में मुद्रित हो जाता है।

E-PROCUREMENT : ADVANTAGEOUS TO RAILWAYS

- P.K. Sinha,
Dy. CMM (C&W) & Ex Dy CVO (S)

The key focus of Central Vigilance Commission (CVC) has been on ensuring transparency in Public Procurement through introduction of appropriate systems and tools in the procurement processes. Of late, E-tendering or e-procurement is emerging as the new method for doing Public Procurement using the modern tools of IT and internet. E-procurement is expected to bring greater efficiency in the procurement process apart from bringing transparency and reducing human interference, grievances and complaints. In Indian Railways, E-procurement has been successfully implemented in procurement of different types of Stores (both Stock and Non-stock) as well as for track supply items of Engineering Department. Focus is on to implement it for purchase of different types of medicines by Medical department. Within a very short span Vendor and Inspection module will be introduced and it will be connected through MMIS (Material Management Information System). This will facilitate in reporting right from demand generation stage till inspection and supply stage to a depot. Days are not far away when the same will be implemented in Works Contract and Consultancy contracts also.

The main advantage of E-procurement are as follows:

Transparency

It has resulted in greater transparency and reduction in complaints. A bidder can download tender documents at any place in the world and can quote. His physical presence at the time of dropping the bid and opening is not mandatory.

Just after opening of tender tabulation statement is displayed on the site and can be seen by any tenderer or Railway user thus showing complete transparency of the system. This also helps Railway administration in taking decision about reasonability of rates by looking rates opened in other Railways, specification, quantum of requirement of other Railway etc. The exact time of uploading the tender documents on the web, that of quoting tenders, revision of offer if any before tender opening and bid-ids are stored and the same is printed in documents downloaded.

लागत में कमी

संरचनात्मक आपूर्तिकर्त्ता संबंध स्थापित करते हुए और गुणवत्ता तथा आपूर्तिकर्त्ता दक्षता में सुधार करते समय उन्नत प्रणाली का प्रयोग कर मात्रा में वृद्धि द्वारा लागत को कम किया गया है। ई-खरीद से कागजी-कार्य, पुनर्कार्य और त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। इंटरनेट के सौजन्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी की कम लागत, ई-खरीद का एक बड़ा लाभ है। खरीद अथवा बिक्री में लागत के साथ-साथ बाजार में प्रवेश की बाधाओं में महत्वपूर्ण कमी आयी है क्योंकि प्रक्रियात्मक लागत घट गयी हैं। बिक्रेताओं को निविदाएं खरीदने या डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं आना पड़ता है इस तरह उनकी श्रम शक्ति, समय और पैसे में कमी आती है।

निर्णय करने में आसानी

टेंडर दस्तावेज डाउनलोड करने वाले और वास्तव में भाग लेने वाले निविदादाताओं की संख्या को भी डाउनलोड किए गए दस्तावेज में दर्शाया गया है। संबद्ध कॉलम में प्रत्येक निविदादाता के वाणिज्यिक और तकनीकी विचलन का अलग से संकलन किया गया है, इस प्रकार निर्णय लेने में प्राधिकारियों को मदद मिलती है। रैंकिंग सहित तालिकाबद्ध विवरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इससे तालिकाबद्ध विवरण तैयार करने तथा संबद्ध-लेखा द्वारा इसकी विधीक्षा करने में समय की बचत होती है तथा इस प्रकार प्रोक्यूरमेंट के समय चक्र को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है।

उत्पादकता

कई मैनुअल क्रियाकलापों मसलन टेंडर का खोला जाना, तालिकाबद्ध विवरणों को तैयार करना तथा इसकी विधीक्षा करना, आदि के कार्य भार में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, बोलीदाता को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और अपने ऑफिस में बैठकर वह कई रेलवे में दर उद्धृत कर सकता है। इससे आने-जाने (यात्रा) के समय में कमी हुई है, साथ ही उनकी उत्पादकता बढ़ी है।

टेक्नोलॉजी का प्रयोग

इ-प्रोक्यूरमेंट में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। दर उद्धृत करने के लिए वेंडरों को ई-मेल भेजे जा रहे हैं, वैबसाइट www.ireps.gov.in

Reducing costs

Costs have been reduced by leveraging volume, having structured supplier relationships and by using system improvements while improving quality and supplier performance. E-procurement eliminates paperwork, rework and errors. The low cost of information and technology courtesy of the internet, is a major advantage of E-procurement. The costs of buying or selling as well as barriers to market entry have significantly been lowered as operation costs are reduced. sellers don't have to come physically for buying and dropping the tenders, thus reducing their man power, time and money.

Ease in Decision making

Number of tenderers who have downloaded tender documents and number of tenderers who have actually participated are also displayed in the downloaded documents. Commercial deviations and technical deviations of each tenderer is compiled separately in relevent column thus helping the authorities to take decisions. Tabulation statement with ranking is prepared by the software itself and there is no manual interference. This avoids time in preparing tabulation statement and its vetting by associated accounts, thus reducing cycle time of procurement drastically.

Productivity

Work load of many manual activities e.g. tender opening, preparation of tabulation statements and its vetting, etc have been reduced resulting in increase of productivity of officials. Similarly bidder does not need to be physically present and by sitting in his office he can quote for many Railways. This has reduced travel time and increased their productivity

Using technology

Latest technology is being used in E-procurement. Vendors are being sent e-mails for quoting, their approvals on the site

पर उनके अनुमोदन(मंजूरी) डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त कार्यक्रमों के जरिए आईआरइपीएस के साथ एमएमआइएस को सप्लायर डाटाबेस के लिए मॉड्यूल्स, निरीक्षण एजेंसी और सुपुर्दगी के साथ जोड़ने का फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस तरह इंडेंट (मांगपत्र) से लेकर डिपो में सामग्री की प्राप्ति होने तक की तमाम प्रक्रिया को जोड़ा जा सकेगा। यह इ-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजी पर धन खर्च करने के लिए रेलवे को भुगतान करता है। इस निवेश से दक्षता में संवृद्धि होगी। खर्चों में दीर्घ-अवधि कटौती से रेलवे को अपने संसाधनों को अधिक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए संचालित करने में मदद मिलेगी। इ-प्रोक्यूरमेंट के फायदों में प्रक्रिया-दक्षता, व्यय-नियंत्रण और अनुपालन भी शामिल है।

समग्र सफलता के लिए एक पर्याप्त, पूर्ण एकीकृत इ-प्रोक्यूरमेंट प्रयास की आवश्यकता है। बहरहाल, नई टेक्नोलॉजी में भी अपनी कमियां और खतरे हैं। अतएव, यह सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा और पारदर्शिता से किसी भी तरह समझौते नहीं किए जाएँ जब नये इंटरनेट आधारित प्रोक्यूरमेंट कार्य-प्रणाली अपनाये जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जहां तक पारदर्शिता और सुरक्षा का संबंध है, इ-प्रोक्यूरमेंट वास्तव में मैनुअल प्रोक्यूरमेंट से बदतर हो सकता है।

यह पृथ्वी ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर टिकी है जिन्होंने अपने अनुराग पर विजय पा ली है और सही रास्ते पर चल रहे हैं तथा जिन्हें इच्छा, ललक और क्रोध प्रदूषित नहीं कर पाया है।

– श्री विष्णु पुराण

जो अपने ऊपर शासन करेगा वह सदैव दूसरों के शासन में रहेगा।

---

www.ireps.gov.in are being given through digital signatures. Additional programs provide the framework for linking MMIS with IREPS, modules for supplier databases, inspection agency and delivery thus linking the entire process from indent till receipt of material in the depot. It pays for Railways to spend money on e-procurement technology. This investment will boost efficiency. The longer term reduction in costs will enable Railways to direct their resources to more strategic initiatives. E-procurement advantages also includes process efficiencies, spending controls and compliance.

An adequate, fully integrated e-procurement approach is needed for overall success. However, new technologies also have their own lacunae and pitfalls. It is therefore of utmost importance to ensure that security and transparency are not compromised in any way while adopting the new internet based procurement methodology. If this is not done, e-procurement can in fact become worse than the manual procurement process as far as transparency and security are concerned.

If a county is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.

- Abul

When I notice weakness in others, let me also aim to recognize their strength.

आय से अधिक संपत्ति मामले एवं आचरण नियम

- **विकास चन्द्रा**
सीपीएम/आरवीएनएल/पटना एवं उपमुसताधि/इंजी.

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पाया है कि आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के कई मामले, सरकारी कर्मचारियों के स्वामित्व में पाए गए धन के मूल्यांकन में मानक पारदर्शी प्रणाली के अभाव में सिफर साबित हो जाते हैं। संगत आचरण नियम/विनियमों आदि के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक नियत मूल्य से अधिक की चल संपत्ति और सभी अचल संपत्ति के अर्जन का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। यह पाया गया है कि इन सूचनाओं पर बिना हमेशा इन्हें स्वीकार किए बारंबार पृच्छा करने की विशिष्ट प्रवृत्ति विविध संगठनों में रही है। यह नोट किए जाने की जरूरत है कि यह रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सरकारी कर्मचारियों को हतोत्साहित करता है। यह भी नोट किए जाने की जरूरत है कि ऐसी सूचनाएँ तब दी जाती हैं जब लेन-देन को छिपाने का कोई इरादा नहीं है अर्थात् लेन-देन प्रामाणिक है। इस प्रकार बारंबार पृच्छा जैसी बाधाएँ वैसे सरकारी कर्मचारी को उदासीन बनाती है जो अपने लेन-देन के प्रति ईमानदार हैं। बारंबार पृच्छाओं से भी सरकारी कर्मचारी की ओर से किए गए किसी प्रकार के गलत कार्य का पता नहीं चलता है। ऐसी सूचनाओं की स्वीकृति बाद के किसी चरण में यदि आवश्यक हो तो जाँच से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है न ही यह संबंधित प्राधिकारी के कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। मात्र सूचना और इसके स्वीकरण का अर्थ यह नहीं है कि जाँच की स्थिति में घोषित मूल्य को स्वीकार किया जाना है। जाँच में, सरकारी कर्मचारियों के धन के मूल्यांकन प्रक्रिया को एक अलग अनुदेश नियंत्रित करता है। इस प्रकार सूचना के समय इतने विस्तृत जांच से कोई सार्थक लाभ नहीं होता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत आर्थिक संसाधनों के रखने अथवा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक आय के संबंध में आपराधिक कदाचार के लिए कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था है। अधिनियम 13(1) (ई) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

'यदि स्वयं या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, स्वामित्व में रहा है जिसके लिए सरकारी सेवक आर्थिक स्रोतों या उसके आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का संतोषप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता।'

DISPROPORTIONATE ASSET CASES & CONDUCT RULES

- Vikas Chandra
CPM/RVNL/Patna & Ex. Dy.CVO/Engg.

The Central Vigilance Commission has observed that many cases of possession of assets disproportionate to known sources of income come to naught owing to lack of a standard transparent method in assessing the wealth found in possession of public servants. The relevant Conduct Rules/Regulations etc. require public servants to report acquisition of movable property above a fixed value and of all immovable property. It has been observed that there has been a marked tendency in various organizations to raise queries repeatedly on these intimations without ever accepting them. It needs to be noted that this discourages public servants from complying with reporting requirements. It also needs noting that such intimations are made when there is no intention to hide the transaction, i.e. the transaction is a bonafide one. Therefore, impediments such as repeated queries demotivate the public servant who is being honest about his transactions. Repeated querying also does not result in uncovering any wrongdoing on the part of the public servant. Acceptance of such intimations does not confer immunity from investigations at a later stage should the need arise; nor is it a reflection on the efficiency or otherwise of the authorities concerned. Mere intimation and its acceptance does not imply that the value declared is to be accepted in the event of an investigation. Separate instructions guide the process of assessing the wealth of public servants in investigation. There is, thus, no worthwhile benefit that accrues from such detailed inquiries at the time of intimation.

Prevention of corruption Act 1988 provides for legal action for criminal misconduct in relation to possession of pecuniary resources or property disproportionate to known sources of income under section 13 of the Act. Section 13 (1) (e) of the Act reads as follows:

"If he or any person on his behalf, is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income."

किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक कदाचार का अपराध किया गया है, कहे जाने से पूर्व 13(1) (ई) के अनुसार अनिवार्य शर्तें निम्न हैं, जिनको अवश्य संतुष्ट किया जाना चाहिए :-

1. अभियुक्त अनिवार्य रुप से सरकारी सेवक होना चाहिए।
2. वह या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में आर्थिक संसाधन या संपत्ति पायी गयी हो जो उसके आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक हो।
3. अभियुक्त वैसी आय से अधिक संपत्ति के संधारण के लिए संतोषप्रद लेखा-जोखा देने में सक्षम नहीं है।

चूंकि आय से अधिक संपत्ति का संधारण एक पुष्ट अपराध है, ऐसे मामलों के जाँच के समय जाँच अधिकारी के उत्तरदायित्व काफी बढ़ गये हैं। उन्हें पर्याप्त सामग्री संग्रहित करनी चाहिए ताकि तर्कसंगत एवं संदेह से परे वे न्यायालय को संतुष्ट कर सकें कि धारा 13(1) (ई) के तहत अपराध की गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 'आय के ज्ञात स्त्रोत' मद को परिभाषित करते हुए धारा 13(1) (ई) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है- 'इस धारा में आय के ज्ञात स्त्रोत' का तात्पर्य है किसी वैध स्त्रोत से प्राप्त आय और ऐसी प्राप्ति को किसी खास समय के लिए सरकारी सेवक पर लागू विधि, नियम या आदेश के प्रावधानों के अनुरूप संसूचित किया गया है।'

इस प्रकार, धारा 13(1) (ई) के तहत एक अपराध का मामला बनाने के लिए आवश्यक रूप से आय का ज्ञात स्त्रोत (1) वैध स्त्रोत से हो तथा (2) इसे रेल सेवक पर लागू किसी विधि, नियम अथवा आदेश के प्रावधानों के अनुरूप संसूचित किया गया हो।

यद्यपि, अवैध आय या गैर कानूनी स्त्रोत से प्राप्त आय को सरकारी सेवक पर खास समय में लागू विधि, नियम अथवा आदेशों के प्रावधान के अनुरूप संसूचित किया जाता है, यह विधिसम्मत नहीं होगा।

अत: यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि रेलवे कर्मचारी (सरकारी सेवक) द्वारा किए गए सभी लेन-देन को रेल आचरण नियम 1966 के अनुसार संसूचित किया जाना चाहिए। कुछ मुद्दे जो चल और अचल संपत्तियों के लेन-देन करते समय रेल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं निम्नलिखित है:-

1. कोई भी रेल कर्मचारी, स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा (उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति) को कोई

The necessary condition which must be satisfied before the offence of criminal misconduct can be said to have been committed by a person 13(1) (e) are:

i. The accused must be a public servant.
ii. He or some other person on his behalf must be found in possession of pecuniary resources or property, which is disproportionate to his known source of income.
iii. The accused is not able to satisfactorily account for the possession of such disproportion assets.

Since the possession of disproportion assets is a substantive offence, the responsibilities of the investigating officers while investigating such case have considerably increased. They should collect sufficient material so as to be in a position to satisfy the court beyond any reasonable doubt that the offence under section 13(1) (e) has been committed.

In the Prevention of corruption Act 1988, explanation has been added to section 13 (1) (e) defining the term "known sources of Income", which reads— "For the purpose of this section known sources of income", means income received from any lawful source and such receipt has been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or orders for the time being applicable to a public Servant."

Therefore, in order to make out an offence Under Sec. 13 (1) (e), known sources of income must be 1) from a Lawful source and 2) the same should have been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or order applicable to the public servant.

Even if illegal income or income from unlawful source is intimated in accordance with the provisions of Law, Rules, or orders for the time being applicable to a Public Servant it will not become lawful.

So it is very much important that the all transactions made by the Railway Men (Public Servant should be intimated as per Indian Railways Conduct Rules 1966. Some of issue which are important for Railway Servants while making transactions for movable and immovable properties are as follows:-

1. No Railway servant shall accept, or permit any member of his family or (any other person acting on his behalf) to accept, any

उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। अभिव्यक्ति 'उपहार' में निःशुल्क वाहन, बोर्डिंग, लॉजिंग अथवा व्यक्तिगत मित्र जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई सरकारी लेन-देन नहीं है, के द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल होगा।

टिप्पणी:

(i) एक अनौपचारिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक सत्कार को एक उपहार नहीं समझा जाएगा।

(ii) एक रेल कर्मचारी, अत्यधिक खर्चीला सत्कार या बारंबार सत्कार किसी व्यक्ति, उद्योग या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों, आदि से जिसके साथ उसका कार्यालयीन लेन-देन है, स्वीकार करने से परहेज करेगा।

(iii) विवाह, सालगिरह, अंतिम संस्कार या धार्मिक त्यौहारों जैसे अवसरों पर जब उपहार देना प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक रिवाज के अनुरूप हो तब एक रेल कर्मचारी अपने निकट संबंधी या व्यक्तिगत मित्र जिसके साथ उसका सरकारी लेन-देन न हो से उपहार स्वीकार कर सकता है लेकिन इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट देगा, यदि ऐसे उपहार का मूल्य अधिक हो:-

- रु. 7000 यदि कोई रेल कर्मचारी ग्रुप 'ए' पद धारण करता हो।
- रु. 4000 यदि कोई रेल कर्मचारी ग्रुप 'बी' पद धारण करता हो।
- रु. 2000 यदि कोई रेल कर्मचारी ग्रुप 'सी' पद धारण करता हो।
- रु. 1000 यदि कोई रेल कर्मचारी ग्रुप 'डी' पद धारण करता हो।

किसी अन्य मामले में, कोई रेल कर्मचारी बिना सरकारी की स्वीकृति के उपहार स्वीकार नहीं करेगा यदि मूल्य अधिक होता है-

रु 1500 यदि रेल कर्मचारी किसी ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' पद धारण करता हो और रु 500 यदि रेल कर्मचारी किसी ग्रुप ग्रुप 'सी' या ग्रुप 'डी' पद धारण करता है।

टिप्पणी:- निकट संबंधियों के बीच उपहार देना या स्वीकार करना जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, आदि शामिल हैं के लिए आचरण नियम के पैरा 13(5) के तहत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदित अपेक्षित है।

2. जब भी कोई रेलवे कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से चल संपत्ति के संबंध में लेनदेन की शुरुआत करता है तो लेनदेन जारी करने की तिथि से एक माह के अन्दर वह इस बारे में सरकार को रिपोर्ट करेगा यदि इस तरह की संपत्ति का मूल्य रेलवे कर्मचारी के दो माह

gift. The expression "gift' shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the govt. servant.

Note:-

(i) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.

(ii) A Railway servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc. having official dealings with him.

(iii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a Railway Servant may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the Government, if the value of such gift exceeds -

- Rs 7000/- in the case of a Railway servant holding any Gr 'A' post;
- Rs 4000/- in the case of a Railway servant holding any Gr 'B' post;
- Rs 2000/- in the case of a Railway servant holding any Gr 'C' post;
- Rs 1000/- in the case of a Railway servant holding any Gr 'D' post.

In any other case, a Railway servant shall not accept any gift without the sanction of the Government if the value exceeds -

Rs 1500/- in the case of Railway servants holding any Group 'A' or Group 'B' post; and Rs 500/- in the case of Railway Servants holding any Group 'C' or Group 'D' post.

Note:- Making or acceptance of gifts amongst "Near Relatives" which include father, mother, son, daughter etc. requires the approval of the competent authority under para 13(5) of conduct rules.

2. Where a railway servant enters into a transaction in respect of movable property either in his name or in the name of a member of his family, he shall within one month from the date of issue transaction, report the same to the Government, if the value of

के मूल वेतन से अधिक हो बशर्ते कि :

रेलवे कर्मचारी द्वारा सरकार की पिछली स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है यदि यह लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसके साथ उसका सरकारी लेन-देन हो।

इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'चल संपत्ति' शब्द के अंतर्गत निम्न आते हैं:-

(क) जवाहरात, बीमा पॉलिसी जिसका वार्षिक किस्त रेलवे कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक है, शेयर, प्रतिभूतियां तथा डिबेंचर।

(ख) रेलवे कर्मचारी द्वारा लिया गया सभी ऋण सुरक्षित हो या न हो, या अग्रिम रूप से हो।

(ग) मोटरकार, मोटर साइकिल, घोड़े या कोई अन्य वाहन का साधन और

(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम तथा टेलीविजन सेट।

ध्यान दें:-

(i) चल संपत्ति मद का क्रय, विवाह के समय उपहार या भेंट देने के लिए, किसी अन्य चल सम्पत्ति के लेन देन की तरह, नियम 18(3) के द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ii) शेयर के खरीद-बिक्री, प्रतिभूतियां, डिबेंचर आदि को चल संपत्ति के लेन-देन के रूप में समझा जाएगा। नियम 18(4) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना कथित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों में दी जाती है :

- ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारी - यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान संचयी लेनदेन यथा शेयरों की बिक्री, खरीद या दोनों, प्रतिभूतियां, डिबेंचर अथवा म्यूचुअल फंड स्कीम, इत्यादि रु 50,000/- से अधिक हो।
- ग्रुप 'सी' और 'डी' अधिकारी - यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान संचयी लेनदेन यथा शेयरों की बिक्री, खरीद या दोनों, प्रतिभूतियां, डिबेंचर अथवा म्यूचुअल फंड स्कीम, इत्यादि रु 25,000/- से अधिक हो।

उपरोक्त सूचनाएँ निर्धारित राशि से अधिक के शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों इत्यादि के व्यक्तिगत लेनदेन के संबंध में नियम 18(3) के अंतर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के अतिरिक्त होगी।

3. सरकार की पूर्व जानकारी के अलावा, कोई रेलवे कर्मचारी चाहे अपने नाम से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई अचल संपत्ति, लीज द्वारा, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्य प्रकार से न हासिल करेगा, न ही उसका निपटारा करेगा।

such property exceeds two months basic pay of the Railway servant:

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway Servant if any such transaction is with a person having official dealing with him.

For the purpose of this rule, the expression 'movable property' includes-

(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds two months' basic pay of the railway servant, shares, securities and debentures;

(b) All loans, whether secured or not, advanced or taken by the Government servant.

(c) Motorcars, motor cycles, horses, or any other means of conveyance; and

(d) Refrigerators, radios, radiograms and television sets.

Note :-

(i) Purchase of items of movable property for giving presents at the time of marriage will be regulated by rule 18(3) above like any other transactions in movable property.

(ii) Sale and purchase of shares, securities, debentures, etc. are to be treated as transactions in movable property. An intimation is to be given under Rule 18(4) to the prescribed authority in the proforma laid down in the following cases:

- Group 'A' and 'B' Officers - If the cumulative transactions i.e., sale, purchase or both in shares, securities, debentures or mutual funds scheme etc. exceedsRs.50,000/- during the calendar year.
- Group 'C' and 'D' Officers - If the cumulative transactions i.e., sale, purchase or both in shares, securities, debentures or mutual funds scheme etc., exceeds Rs.25,000/- during the calendar year.

The above intimation will be in addition to the intimation(s) required to be given under Rule 18(3) in respect of individual transactions in shares, securities, debentures, etc. which exceeds the amounts prescribed there for.

3. No railway servant shall, except with the previous knowledge of the Government acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family:

बशर्ते कि रेलवे कर्मचारी द्वारा सरकार की पूर्व में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है यदि उसका सरकारी लेन-देन करने वाले किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई लेन-देन हो।

अचल संपत्ति की खरीद के संबंध में रेलवे अधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि:

- संगत मानक फार्म पर आवेदन किया गया है।
- फार्म के सभी कॉलम को ठीक से और स्पष्ट रूप से भरा गया है।
- आवेदन नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाए।
- समर्थक दस्तावेज के साथ वित्त के स्रोत का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- फ्लैटों की खरीद, आदि की स्थिति में अचल संपत्ति के बिक्री/खरीद से जुड़े सभी कागजात जैसे करार की प्रति, आदि संलग्न किए जाएं।
- यदि व्यक्तिगत ऋण लेने का मामला हो तो उस व्यक्ति से एक घोषणा ली जाए।
- व्यक्तिगत बचत के वित्तीय स्रोत का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- बैंकों से ऋण लेने पर ऋण की अवधि तथा किस्तों की संख्या दर्शाते हुए बैंक के सहमति पत्र का उल्लेख किया जाए।
- लिए गए ऋण के ब्यौरे के साथ भुगतान सामर्थ्य के समर्थन में आवेदक का अंतिम वेतन पर्ची भी हो।

टिप्पणी:-

छठे वेतन आयोग के बाद, रु 4600/- तथा इसके उपर के ग्रेड वेतन वाले सभी पर्यवेक्षीय कर्मचारी द्वारा अपने अचल संपत्ति की वार्षिक संपत्ति विवरणी दर्ज करना जरूरी है।

रेलवे कर्मचारियों के ऊपर आचरण नियमों द्वारा विभिन्न प्रतिबंध लागू होते हैं। कर्मचारियों के लिए लागू 'क्या करें' और 'क्या न करें' के रूप में आचरण नियमों का सार नीचे दिया गया है:-

'क्या करें'

- सदैव ड्यूटी के प्रति पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा बरतें।
- उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को धारण करने वाले अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरतें।
- अपने निजी जीवन में शालीन और जिम्मेवारीपूर्ण आचरण बरतें।
- लंच ब्रेक के दौरान उचित शालीनता से व्यवहार करें।
- जनसामान्य को त्वरित और विनम्र सेवा प्रदान करें।

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway servant if any such transaction is with a person having official dealings with him.

For purchase of immovable property the Railway officer must ensure that:

- The application is made on the relevant Standard Form.
- All the columns of the form are properly and clearly filled.
- The application must be forwarded by the controlling officer.
- Source of finance should be clearly mentioned along with the supporting documents.
- All the paper related with the sale/purchase of the immovable property such as copy of agreement etc in case of purchase of flats should be attached.
- If personal loans is to be taken, a declaration from that person should be taken.
- Financial source of personal saving should be clearly mentioned.
- In case of loans from banks, consent letter of the bank showing number of installations and duration of the loan should be mentioned.
- Last pay slip of the applicant in support of his paying capacity along with the details of the loan already taken.

Note:-

After the sixth pay commission all the supervisory staff in Grade pay of Rs 4600/- and above are required to file annual property return of their immovable property.

The Conduct Rules, impose various restrictions on Railway employees. Summary of conduct rules in the form of Do's and Don'ts applicable to employees are given below:-

Do's

- Maintain absolute integrity and devotion to duty all times
- Those holding responsible posts - maintain independence and impartiality in the discharge of your duties.
- Maintain decent and responsible conduct in their private life.
- Observe proper decorum during lunch break.
- Render prompt and courteous service to the public.

- क्रिमिनल कोर्ट में आरोप सिद्ध होने या अपनी गिरफ्तारी के संबंध में तथ्यों तथा उनसे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जितना जल्द हो सके, अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें।
- सरकारी कार्यालयों के आस-पास राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों से दूर रहें।
- निजी क्रियाकलापों को इस ढंग से व्यवस्थित करें ताकि स्वभावगत ऋणग्रस्तता और दिवालियापन से बच सकें।
- राजनीतिक तटस्थता बरतें।
- सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करें।
- सांसदों और राज्य विधायिकाओं के प्रति गंभीरता और विनम्रता से व्यवहार करें।
- यदि आपसे किसी देय ऋण की वसूली या आपको दिवालिया के रुप में समायोजित के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरु की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में पूर्ण तथ्य उपलब्ध करायें।
- सच्चे दिल से ड्यूटी के निष्पादन में, आप 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' और इसके लिए बनाये गए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना भेजें।

'क्या न करें'

- किसी ऐसे कार्य में शामिल न हो जो किसी सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हों।
- अशिष्ट, बेईमान या पक्षपातपूर्ण न हों।
- सार्वजनिक हित के मामले में संयुक्त प्रतिवेदन न करें।
- सामान्यजन के साथ अपने व्यवहार में विलंबकारी दाँवपेंच न करें।
- अधीनस्थों को मौखिक निर्देश न दें।
- अस्पृश्यता का अभ्यास न करें।
- किसी भी प्रतिबंधित संगठन के साथ स्वयं को न जोड़ें।
- किसी संघ या प्रदर्शन से न जुड़े जिसका उद्देश्य या क्रियाकलाप भारत के संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित के प्रतिकूल हो।
- विदेश दौरे के समय भारतीय या विदेशी कार्य-मामले पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति न दें।

- Report to the superiors the fact of your arrest or conviction in a Criminal court and the circumstances connected therewith, as soon as it is possible to do so.
- Keep away from demonstrations organized by political parties in the vicinity/ neighbourhood of government offices.
- Manage private affairs in such a way as to avoid habitual indebtedness or insolvency.
- Maintain political neutrality.
- Act in accordance with the government policies.
- Observe courtesy and consideration to Members of Parliament and State Legislatures.
- If any legal proceedings are instituted for the recovery of any debt due from you or for adjusting you as an insolvent, report the full facts of such proceedings to the competent authority.
- In performance of duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the 'Right to Information Act, 2005' and the rules made there under.

Don'ts

- Do not indulge in acts unbecoming of a government servant.
- Do not be discourteous, dishonest of partial.
- Do not make joint representations in matters of common interest.
- Do not adopt dilatory tactics in your dealings with public.
- Do not convey oral instructions to subordinates.
- Do not practise un-touchability
- Do not associate yourself with any banned organizations.
- Do not join any association or demonstration whose objects or activities are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, Public order or morality.
- Do not give expression to views on Indian or foreign affairs, while visiting foreign countries.

- किसी सरकारी सेवक को किसी सरकारी दस्तावेज या उसके कोई भाग या वर्गीकृत सूचना या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आप वर्गीकृत सूचना के ऐसे दस्तावेज भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं है को उसके अप्राधिकृत रुप से भेजने में शामिल न हो।
- किसी अवैध हड़ताल का हिस्सा न बने और न उसका समर्थन करें।
- विदेशी राजदूतावासों या मिशनों के साथ किसी निजी पत्र व्यवहार की शुरुआत न करें।
- अपने साथ सरकारी लेनदेन करने वाले किसी व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से महँगे या बारंबार आतिथ्य-सत्कार को स्वीकार न करें।
- विदेश जाने के खर्च या वहां निशुल्क भोजन और आवास देकर आतिथ्य सत्कार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार न करें जहां सरकार के साथ कॉन्ट्रेक्ट करने वाले विदेशी फर्मों से ऐसा कोई प्रस्ताव हो।
- एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन या विदेशी एयरलाइंस द्वारा ऑफर किए गए निशुल्क उद्घाटन संबंधी उड़ानों के लिए आपको तथा आपके परिजनों को भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार न करें।
- किसी नववधू या वर के माता-पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग या दहेज का लेन-देन न करें।
- सरकारी लेन-देन करने वाले किसी विदेशी फर्म से कोई उपहार/भेंट स्वीकार न करें।
- जीवन बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी या स्वयं का या अपने परिजनों द्वारा संचालित विज्ञापन एजेंसी के बिजनेस का प्रचार करने में स्वयं को न लगाएं।
- किसी व्यक्ति, फर्म या निजी कम्पनी के साथ जिससे आपके साथ सरकारी लेन-देन की संभावना हो तो उसके किसी सदस्य या एजेंट के रूप में जमा राशि से न तो उधार दें या लें। ऐसे व्यक्ति, फर्म या निजी कंपनी के साथ स्वयं को किसी प्रकार के धन संबंधी दायित्व में न पड़ने दें।
- अपने संबंधी/मित्रों के द्वारा निजी स्रोतों से लिए गए ऋण हेतु जमानत बनाये रखने के लिए अपने अधीनस्थों से अप्रोच न करें।
- निजी परामर्श संबंधी कार्य न करें।
- किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में सट्टेबाजी न करें।
- मित्रों और कंपनियों के सह-निदेशकों के लिए आरक्षित कोटे में से शेयरों की खरीद न करें।

- Do not get involved in unauthorized communication of any official document or any part thereof or classified information to any government servant or any other persons to whom you are not authorized to communicate such document of classified information.
- Do not join or support an illegal strike.
- Do not enter into any private correspondence with Foreign Embassies or Missions.
- Do not accept lavish or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc having official dealings with you.
- Do not accept any offer of the cost of passage to foreign countries or hospitality by way of free board and lodging there, if such offers are from foreign firms contracting with Govt.
- Do not accept invitations to you and members of your family for free inaugural flights offered by Air India, Indian Airlines Corporations or Foreign Airlines.
- Do not give or take or abet giving or taking of dowry or demand any dowry directly or indirectly from the parent or guardian of a bride or bridge-groom.
- Do not accept any gift from any foreign firm which is having official dealings.
- Do not engage yourself in canvassing business of life insurance Agency, commission agency or advertising agency owned or managed by the members of your family.
- Do not lend or borrow money from or deposit money as a member or agent, with any person, firm or private company with whom you likely to have official dealings. Do not otherwise place yourself under pecuniary obligation with such person, firm or private company.
- Do not approach your subordinates for standing surety for loans taken from private sources either by your / your relations / friends.
- Do not undertake private consultancy work.
- Do not speculate in any stock, share or other investment.

- किसी संपत्ति की नीलामी पर बोली न लगाएं जहां ऐसी नीलामी आपके अपने अधिकारियों द्वारा की जा रही हो।
- भारत के विदेशी राजनयिकों या विदेशी नागरिक के साथ अतिथि के रूप में न ठहरे।
- भारत में अतिथि के रूप में अपने साथ ठहरने के लिए किसी विदेशी राजनयिक को आमंत्रित न करें।
- किसी विदेशी मिशन/सरकार या संगठन से मार्ग-व्यय या मुफ्त एयर ट्रांसपोर्ट स्वीकार करने के लिए अपनी पत्नी या आश्रितों को अनुमति न दें।
- अपनी सेवा संबंधी मामलों में किसी राजनीतिक प्रभाव को न लाएं।
- ड्यूटी के समय कोई नशीला पेय या औषधि न लें।
- नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर न जाएं।
- किसी महिला के साथ उसके कार्य स्थल पर किसी प्रकार के यौन शोषण कार्य में लिप्त न हों।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर न लगाएं।
- निजी ट्रस्ट/फाउंडेशनों द्वारा संचालित आर्थिक लाभ का पुरस्कार स्वीकार न करें।

चरित्र, पेड़ और छाया ख्याति की तरह है। हम छाया को कितना भी महत्व दें, लेकिन वास्तविक चीज पेड़ ही है।

– अब्राहम लिंकन

लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है।

– स्वामी विवेकानंद

- Do not purchase shares out of the quota reserved for friends and associates of Directors of companies.
- Do not bid at any auction of property where such auction is arranged by your own officers.
- Do not stay as guest with foreign diplomats or foreign national in India.
- Do not invite any foreign diplomat to stay with you as a guest in India.
- Do not accept or permit your wife or dependants to accept passage money or free air transport from a foreign Mission/ Government or Organization.
- Do not bring any political influence in matters pertaining to your service.
- Do not consume any intoxicating drinks or drugs while on duty.
- Do not appear in public place in a state of intoxication.
- Do not indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.
- Do not employ children below 14 years of age.
- Do not accept award of monetary benefits instituted by private trusts/ Foundations, etc.

The earth is upheld by the veracity of those who have subdued their passions, and following righteous practices, are never contaminated by desire, covetousness and wrath.

- Sri Vishnu Purana

"The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who do not do any thing about it."

- Albert Einstein

क्या करें और क्या न करें।

1. रद्दी माल की प्राप्ति और लेखाकरण

क्या करें:

- रद्दी माल का लेखाकरण बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए। सभी प्राप्ति भंडार के वाउचर की प्रविष्टि एनएस-11 पंजिका में बिना किसी देरी के करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लौटायी जा रही सामग्री का विवरण एनएस-11 में वर्णित विवरण से मेल खाता है।
- एनएस-11 के साथ भंडार वापसी के लिए लाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता जाँच ली जानी चाहिए।
- लौटायी गयी सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता एनएस-11 के साथ जांच लेनी चाहिए और किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने की स्थिति में विसंगति मेमो जारी किया जाना चाहिए।
- भेजी गयी मात्रा और डिपो अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी मात्रा में अन्तर होने पर संबंधित अधिकारी/प्रेषिति को सूचित करना चाहिए तथा बिना किसी देरी के आवश्यक कार्यवाई करनी चाहिए।
- जहां तक संभव हो सके रद्दी माल को प्रेषिति द्वारा पृथक कर भेजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो संबंधित डिपो अधिकारी द्वारा इस मामले को भेजने वाले अधिकारी के समक्ष उठाना चाहिए।
- प्राप्त सामग्री जिस जगह पर रखा जा रहा है उस जगह को प्राप्ति पंजिका में दर्शाने का प्रयास करना चाहिए।

क्या न करें:

- नयी प्राप्त सामग्री को कदापि पूर्व से सर्वेक्षित तथा बिक्री के लिए तैयार लॉट में नहीं मिलाना चाहिए।
- डीएस-8/एनएस-11 में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा अधिलेखन नहीं करना चाहिए।

Do's and Don'ts

1. Accountal & receipt of Scrap

Do's

- Accountal of returned stores received is done without delay. Entry of all returned stores vouchers are to be made without any delay in NS-11 register.
- Ensure that description of returned stores tallies with the description on the Advice Note/DS-8.
- Ensure verification of credentials of the person who brings returned stores along with Advice Note/DS-8/NS-11.
- Check the material for quality & quantity received along with DS-8/NS-11 and in case of any discrepancy, discrepancy memo must be issued.
- The variation in quantities dispatched and quantities acknowledged by Depot Officers to be informed to concerned officers/consignees and further necessary action to be taken.
- To the extent possible, scrap is to be dispatched by consignees in segregated condition. If not complied then concerned depot officer to take up the matter with the returning officials.
- Try to indicate the location of dumping of received material in the receipt register.

Don'ts

- Do not allow fresh arising to get mixed up with lots already surveyed and ready for sale.
- Do not make any alternation/over-writings on returned stores vouchers (DS-8/NS-11).

2. निलामी में शामिल करने से पहले लॉट का निरीक्षण

क्या करें:

- सर्वेक्षण से पहले सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अलग-अलग प्रकृति की सामग्री का लॉट अलग-अलग लगाया गया है ताकि परिदान के समय पीक और चूज को टाला जा सके।
- निलामी में शामिल करने से पहले यह सुनिश्चत कर लिया जाना चाहिए कि जहां आवश्यकता है वहाँ सामग्री का सर्वेक्षण कर लिया गया है।
- सर्वेक्षण समिति का उचित नामांकण सुनिश्चित कर लिया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण समिति की बैठक नियमित रूप से होती है ताकि लॉट के बंचिंग को रोका जा सके।
- बहुत बड़े यह बहुत छोटे लॉट जिससे प्रतियोगिता बाधित होती है नहीं लगाया जाना चाहिए।
- लॉट का निरीक्षण उपयुक्त ढंग से किया जाना चाहिए तथा निलामी में शामिल करने से पहले लॉट संख्या प्रदर्शित करना चाहिए।
- लॉट निरीक्षण प्रमाण-पत्र/सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पत्र के सभी कॉलम को बिना किसी को रिक्त छोड़े भरा जाना चाहिए।

क्या न करें:

- नयी प्राप्त सामग्री को पूर्व से सर्वेक्षित सामग्री तथा बिक्री के लिए तैयार लॉट में कदापि नहीं मिलने देना चाहिए।
- सही प्राधिकार पत्र के बिना और व्यापार मामले को छोड़कर स्क्रैप यार्ड में स्क्रैप व्यापारी या अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

3. परिदान के उपरांत कमी और राशि का लौटाया जाना

क्या करें:

- यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि परिदान के दौरान सामग्री में कमी वास्तविक है।

2. Inspection of Lots before inclusion in auction

Do's

- Ensure that sufficient book balance is available before lot is put up for survey.
- Ensure that lots of distinct nature are made as separate lots to avoid picking and choosing at the time of delivery.
- Ensure survey of lots wherever required before inclusion in auction catalogue.
- Ensure proper nomination of Survey Committee.
- Ensure Survey committee meetings are held regularly to avoid bunching of lots.
- Avoid forming too big or too small lots, which hampers competition.
- Ensure that Lot inspection is properly done and lot No. is exhibited on the lot before inclusion in the auction.
- Ensure filling up of all the columns in lot inspection certificate/ survey committee recommendations without leaving any blanks.

Don'ts

- Do not allow fresh arising to get mixed -up with lots already surveyed and ready for sale.
- Do not allow the scrap merchants or other unauthorized persons to enter the scrap yard except strictly on business and under proper authorization.

3. Shortage and refund after deliveries

Do's

- Ensure that shortage of material at the time of delivery is genuine.

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वापसी शीघ्रताशीघ्र कर दिए जाएं।
- यदि क्रेता के द्वारा शेष विक्रय राशि समय पर जमा नहीं की जाती है तो जमा बयाना राशि शीघ्र जब्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मात्रा में बड़े अंतर की ठीक ढंग से जाँच करनी चाहिए।

क्या न करें:

- कमी को दूसरे लॉट से या नयी प्राप्ति से कभी भी समायोजित न करें।

4. सामान्य

क्या करें:

- शिड्यूल के अनुसार नियमित अंतराल पर भंडार का सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- बीएआर (खाता औसत दर/पीडी दर) की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएँ तथा निरीक्षण टिप्पणी जारी किए जाएँ।

5. क्रेता को स्क्रैप माल का परिदान

क्या करें:

- निर्गम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले शेष विक्रय राशि के लिए तथा अन्य देय जैसे विक्रय कर, टीसीएस, अन्य अधिभार, इत्यादि के लिए जमा की गयी नकद प्राप्ति रसीद की प्रमाणिकता की जाँच सुनिश्चित कर ली जाए।
- निर्गम प्रमाण पत्र के सभी कॉलम यथा मात्रा, शेष विक्रय राशि का भुगतान, मुफ्त परिदान अवधि, आदि के संबंध में भरा होना सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।
- परिदान देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ब्याज और भूमि भाड़ा ले लिए गए हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिदान सभी साक्ष्यकर्मियों की उपस्थिति में हों।

- Ensure that the refunds are arranged promptly.
- Ensure that lots are promptly cancelled forfeiting the EMD wherever the purchasers fail to pay the balance sale value in time.
- Ensure that large variations in the quantities are properly investigated.

Don'ts

- Do not adjust the shortage from other lots or from fresh receipts

4. General

Do's

- Ensure stock verification at regular interval as per schedule.
- Ensure regular review of BAR(Book Average Rate/PD rate (Predetermined rate)
- Officers should carry out surprise inspections and issue inspection notes.

5. Delivery of scrap to purchasers

Do's

- Ensure verification of genuineness of money receipt for balance sale value and payment of all dues such as sales tax, TCS, water & cess charges, etc before issuing Delivery order.
- Ensure that all columns of the Delivery Order are filled in all respects i.e. Quantity, payment of balance sale value, Free delivery period, etc.
- Ensure that the interest and ground rent are realized wherever necessary before effecting the delivery.
- Ensure delivery is effected in presence of all witnessing officials.

- सभी वजन एवं परिदान का सही ढंग से संबंद्ध पंजिका में दर्ज सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिदान बिके हुए सामग्री का ही दिया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिके हुए माल के बगल में रखी सामग्री को क्रेता द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रेता नये प्राप्त हुए सामग्री को नहीं ले जा रहा है।
- यदि परिदान किस्त में हो रहा हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिदान की मात्रा जमा किए गए राशि के अनुपात में है तथा कोई अधिक मात्रा का परिदान नहीं लिया गया है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिदान की प्रगति परिदान आदेश के पृष्ठ पर अंकित किया जा रहा है।
- कंडेम्ड रॉलिंग स्टॉक के परिदान से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी एक्सक्लूडेड मद क्रेता से वापस ले लिए गए हैं।
- अगर परिदान दी जाने वाली सामग्री, परिदान आदेश में वर्णित सामग्री से काफी भिन्न है तो इसकी जाँच की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिदान, अनुमति दिए गए कार्यावधि में ही पूरा कर लिया जाता है। अगर आवश्यकता हो तो रेसुब तथा आईएसए/स्टॉक सत्यापक का समय भी डिपो के कार्य समय के साथ कर दिया जाए।

क्या न करें:

- एक ही समय में एक ही बैच के साक्ष्यकर्मियों द्वारा अलग-अलग लॉट के परिदान की अनुमति नहीं दी चाहिए।
- ढुलाई में सुविधा के बहाने परिदान देने के समय अलग-अलग तरह की सामग्रियों के लॉट को नहीं मिलाएँ।
- बिके हुए सामग्री को परिदान देने के समय खरीददार को पिक एंड चूज की अनुमति नहीं दें। परिदान एक छोर से शुरु होना चाहिए।
- बिके हुए सामग्री का परिदान लेने के समय खरीददार को पास पड़े हुए सामग्री से छेड़छाड़ की अनुमति न दें।

- Ensure all weighments and deliveries are correctly recorded in the relevant register.
- Ensure the material being delivered is the one which is sold in the auction.
- Ensure that the purchaser does not disturb the nearby material while taking delivery of sold lot.
- Ensure that purchaser does not carry fresh receipts while taking delivery.
- While giving installment delivery, ensure that the quantity being delivered is in proportion to the amount paid and that no extra material is delivered.
- Ensure that progress of delivery is entered on reverse of delivery order.
- Ensure that all the excluded items are collected from the purchaser, before giving delivery of condemned rolling stock.
- Investigate, if the contents of lot to be delivered are found to be significantly different from the description shown in the delivery order.
- Ensure that delivery is made in the permitted hours of working. If necessary, the timings of RPF & ISA/SV to be aligned with depot working timings.

Don'ts

- Do not allow delivery of different lots by same batch of witnessing officials simultaneously at the same time.
- Do not club different lots having different materials while giving delivery on any pretext such as convenience of transportation, etc.
- Do not allow purchasers to pick and choose while arranging delivery of the sold materials. The delivery should start from one end.
- Do not allow purchasers to disturb the nearby material while taking delivery of sold lot.

- किसी भी परिस्थिति में बिकी हुई सामग्री को डिपो परिसर के बाहर निकलने न दें जब तक कि निर्गम नोट और गेट पास जारी न कर दिया गया हो।

6. तौल की सुविधा

क्या करें:

- जब परिदान तौल कर देना हो तो प्रतिदिन तौल मशीन पर (शून्य) सुनिश्चित कर लिया जाए।
- डिपो अधिकारी और सुपरवाईजर के द्वारा तुला चौकी की आवधिक जाँच मानक वजन और चर वजन द्वारा सुनिश्चित करा लेना चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि तुला मशीन का सील अक्षुण्ण है।
- नियत तिथि पर तुला मशीन की जाँच तथा प्रमाणन माप-तौल विभाग से कराना सुनिश्चित करना चाहिए।
- माप-तौल मशीन के उचित रख-रखाव के लिए उसका वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध करा लेना चाहिए।

(संदर्भ: सलाहकार, रेलवे भंडार, रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2010/आरएस (एस)/ 709/13-पीटी-1 दिनांक 12.10.2011)

जनता की मानसिकता को भ्रष्ट करना उतना ही बुरा है जितना कि उनकी जेब से पैसा चुराना।

– एडलाई स्टिबेंसन

व्यक्ति से जुड़ी तमाम धन-सम्पत्तियों में कोई भी चरित्र से ज्यादा मूल्यवान नहीं है।

– हेनरी क्ल

- In no case sold materials to be stationed out of the depot premises unless issue notes & gate passes have been issued.

6. Weighment facilities

Do's

- Ensure "ZERO" on weighing machine every day before commencement of delivery by weighment.
- Ensure periodic inspection of weighbridge by standard weight & variable weight by depot officers and supervisors.
- Ensure that the weigh machines seals are intact.
- Ensure certification of weighing machines checked and certified by legal metrology department on due dates.
- Ensure AMC for weighing machines for its proper upkeep.

[Ref: Adviser, Rly. Stores, Railway Board's letter no. 2010/ RS(S)/709/13-Pt-I dt 12.10.2011]

"The best and the only right course Would be for the public to prevent Actual corruption from taking place. By maintaining a sleepless vigilance, And for the servant to keep the Public on the qui vive."

-Mahatma Ghandhi

- एस.एस. राठौर
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

1. बिना ठेका में प्रावधान के संवेदक को स्टॉक से सामग्री का निर्गत करना

एक खण्ड 'X' में डीएफसीसीएल के लिए एक डिपोजिट कार्य मंडल को करना था जिसके लिए मंडल के कर्षण वितरण इकाई के द्वारा एक संवेदक को ठेका दिया गया था। करार के अनुसार, सामग्री की आपूर्ति भी ठेकेदार को ही करनी थी।

एक परिवाद की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि अनुरक्षण के उद्देश्य से रखी गई कुछ सामग्रियाँ स्टॉक से ठेकेदार को मंडल के कर्षण वितरण के विभिन्न इकाई के कर्मचारियों द्वारा निर्गत कर दी गई। कुछेक मामलों में यहाँ तक कि ऊँची दाम वाली सामग्रियाँ भी ठेकेदार को लोन पर निर्गत कर दी गयी जो कि रेल को एक वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद वापस किया गया। जिन कर्मचारियों ने सामग्रियाँ निर्गत की थीं उन्होंने कहा कि ऐसा स.वि.अ./कर्षण वितरण तथा वमंविअ/कर्षण वितरण के मौखिक आदेश पर किया गया। सामग्रियों को स्टॉक से निर्गत करने के लिए (जो कि रेल के लिए था) कोई भी पूर्व में लिखित अनुमोदन नहीं लिया गया। व.अ.अ. ने भी सामग्रियों को निर्गत करने के बाद इसे मंडल कार्यालय को सूचित नहीं किया। ऐसे कृत के लिए जिसमें वित्तीय हित निहित था, कोई वित्तीय सहमति नहीं ली गई।

इकाई के प्रभारी अधिकारी को वैसे मामले में जहाँ ठेकेदार को सामग्री की आपूर्ति करनी है परन्तु सामग्री स्टॉक से ठेकेदार को निर्गत कर दी गई, के लिए उपलब्ध प्रथा के बारे में पूछा गया। उनसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि डीएफसीसीएल से संबंधित इस कार्य में जो सामग्रियाँ ठेकेदार को निर्गत की गईं, उन सामग्रियों/सामग्रियों के मूल्य का समायोजन डीएफसीसीएल से किस योजना के तहत की जाएगी?

यह सुनिश्चित किया गया कि सामग्रियाँ ठेकेदार को या तो अत्यावश्यकता की परिस्थिति में या उस स्थिति में जब उन सामग्रियों का प्रबंध प्राक्कलन में नहीं था लेकिन कार्य क्षेत्र के हिसाब से जरूरी था, दी गयीं। उन्होंने पुनः सुनिश्चित किया कि प्रतिष्ठान को निर्गत किए सामग्रियों का, उपरोक्त में से कोई एक या दोनों परिस्थितियों में, कोई भुगतान नहीं किया गया और ठेकेदार

- **S.S. Rathore**
Chief Vigilance Inspector (Stores)

1. Issue of material to contractor from stock without provision in contract

In a section 'X' a deposit work was to be done for DFCCIL by division for which contract was awarded to the contractor by TRD unit of the division. As per agreement, materials were to be supplied by the contractor.

During investigation of a complaint it was observed that some materials which were meant for maintenance were issued to the contractor from stock by different officials of divisional unit of TRD department. In some case even high value materials were issued to the contractor on loan which were returned again to the railways after more than one year. The officials who issued the material stated that issue has been made as per verbal instruction of AEE/TRD & Sr DEE/TRD. No written prior approval for issue of material from stock (meant for railway) to the contractor was taken. The SSE also did not inform the division after issue of materials. No finance concurrence for such action having financial implication was taken.

Officer in charge of the unit was asked to confirm the system of issue of material to contractor from stores in such cases where material is to be supplied by the contractor. He was also asked to confirm that for this work pertaining to DFCCIL where material was to be supplied by the contractor, how settlement of the cost of material/material issued from stock has been planned with DFCCIL.

It was confirmed that materials were issued to the contractor from stock in urgency and where provision for it was not in estimate but material was required as per site requirement. He further confirmed that no payment for material given to the firm in either of the two circumstances has been made to the firm and payment to the contractor will be made only after he returns the materials which

को भुगतान तभी किया जाएगा जब वह उन सामग्रियों को वापस कर देगा जो उन्हें निर्गत किए गए थे। तत्पश्चात वैसी सामग्रियाँ जिनका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं था लेकिन उनकी आवश्यकता कार्य क्षेत्र के हिसाब से थी और ठेकेदार को निर्गत की गई, उन सामग्रियों को संशोधित प्राक्कलन में डीएफसीसीएल से भुगतान पाने हेतु, स्टोर मद में शामिल कर लिया जाएगा।

विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को यह सलाह देने हेतु अनुरोध किया गया है कि डीएफसीसीएल के उपरोक्त कार्य के लिए जारी की गई सामग्री/सामग्री के मूल्य का समायोजन किया जाए तथा साथ हीं वैसे ठेकेदार को सामग्री निर्गत न किए जाएँ जब ठेके के अनुसार सामग्री की आपूर्त्ति ठेकेदार को ही करनी है वरन केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन तथा संबंद्ध वित्त की सहमति लेकर पूर्ण औचित्यता दर्शाते हुए सामग्री जारी की जा सकती है। विद्युत विभाग ने पूमरे के सभी मंडलों को तदनुरूप स्टॉक से सामग्री निर्गत करने की सलाह दी है।

2. बिजली (सामान्य) से संबंधित सामग्री का गबन

मंडल के एक बिजली (सामान्य) युनिट में एक केन्द्रीकृत इकाई है जहाँ बिजली (सामान्य) की सामग्री यथा फ्लोरेसेंट ट्यूब लाईट, सीएफएल लैंप, स्वीच, कॉपर केबल, आदि का अनुरक्षण कार्य के लिए भंडारण किया जाता है। उसी जगह पर व.अ. अभियंता के अधीन उपयोगकर्त्ता युनिट, केन्द्रीकृत इकाई से सामग्रियाँ लेता है।

युनिट की जाँच के दौरान यह पाया गया कि उपयोगकर्त्ता युनिट ने अपने कर्मियों को सामग्री के लिए माँग पत्र देने की बजाय सादे कागज पर बने स्लिप पर सामग्री लाने की सलाह दी। माँगपत्र के समय से जमा नहीं करने के कारण, सामग्री संग्रह कर्मियों द्वारा सामग्रियों की पावती लोन रजिस्टर में की गई। केन्द्रीकृत भंडारण इकाई से किस सामग्री की कितनी मात्रा सामग्री संग्रहकर्त्ता द्वारा ली गई इसकी कोई सूचना उपयोगकर्त्ता इकाई को नहीं दी गई।

पहले से ही प्राप्त कर ली गई सामग्रियों का माँग पत्र उपयोगकर्त्ता इकाई द्वारा केन्द्रीकृत भंडारण इकाई को बाद में दिया गया। यह पाया गया कि फ्लोरेसेंट लैम्प, सीएफएल लैंप, स्वीच, कॉपर केबल, आदि की लोन रजिस्टर में स्वीकृत की गई मात्रा, लेजर में निर्गत की गई मात्रा तथा माँग की गई मात्रा से कम थी। अत: सामग्री की कम मात्रा निर्गत कर लेजर से अधिक मात्रा डेबिट कर लिया गया। इससे युनिट इनचार्ज/सामग्री निर्गतकर्त्ता द्वारा सामग्रियों की हेराफेरी की जा सकी।

were issued to the contractor. Further materials for which provision were not made in the estimate but were required as per site requirement and issued to the contractor, these (materials) will be included in the store item in revised estimate for getting payment from DFCCIL.

Electrical department was requested to advise the concerned official for settlement of the cost of material/material issued from stock for the above work of DFCCIL as well as that material from stock should not be issued to the contract against the work where material is to be supplied by the contractor except in case of urgency where approval of competent authority and concurrence of associated finance should be taken duly recording justification for the same. Electrical department has advised all divisions of E C Railway accordingly regarding issue of material from stock.

2. Misappropriation of materials pertaining to electrical general

In Electrical General unit of a division there is a centralised unit which stocks materials like fluorescent tube lights, CFL lamps, switches, Cu cables, etc for maintenance work. The user unit under SSE at the same place draws material required by them from the centralised unit.

During check of the unit it was observed that the user unit advised its officials to collect material on a slip made on a plane paper instead of placing requisition for materials. Owing to non-submission of requisition in time materials were acknowledged by material collection officials on loan register. No intimation from the centralised stocking unit was sent to the user unit that how much quantity was issued to the material collecting official.

Requistion for material drawn already by the user unit was sent to the centralised stocking unit later on. It was found that the quantity of materials fluorescent tube lights, CFL lamps, switches, Cu cables, etc acknowledged on the loan register was less than that issued from the ledger and the demanded quantity. Less quantity of material was therefore issued and debited more from the ledger. This amounted to misappropriation of material by the unit in charge/ material issuer.

यूनिट में रखे गए लोन रजिस्टर को कैजुअल ढंग से मेंटेन किया गया, इस पर केन्द्रीकृत इकाई के सामग्री निर्गतकर्त्ता कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं था, इसके पृष्ठ नम्बरिंग नहीं किए हुए थे तथा सभी प्रविष्टियों को काट दिया गया था। जिस कर्मचारी ने सामग्री निर्गत की उसने निर्गत वाउचर पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। लोन रजिस्टर, सामग्री की प्राप्ति तथा निर्गत के लेखाकरण के लिए एक स्वीकृत दस्तावेज नहीं है।

संबंधित व. अनुभाग अभियंता तथा सामग्री निर्गतकर्त्ता के विरुद्ध लघु दण्डारोपण की कार्रवाई की गई है।

3. आरसीडी में एचएसडी तेल की प्राप्ति, लेखाकरण तथा निर्गत में अनियमितता

- आर.के. सिंह

मुख्य सतर्कता निरीक्षक/मेडिकल

(i) एक आरसीडी में एचएसडी तेल की प्राप्ति, लेखाकरण तथा निर्गत की औचक सतर्कता जाँच के दौरान इस सामग्री की 38000 लीटर की वृहद कमी पायी गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि फ्यूल निर्गतकर्त्ता द्वारा यूनिट में एचएसडी तेल बिना ड्राइवर की पावती के निर्गत किया जाता है। फ्यूल निर्गत पंजिका में फ्यूल निर्गतकर्त्ता द्वारा केवल ड्राइवर का नाम लिखा जाता है। कहीं-कहीं फ्यूल की निर्गत की गई मात्रा के लिए ड्राइवर का नाम भी नहीं लिखा गया था। फ्यूल निर्गत पंजिका का कोई मानक प्रपत्र नहीं था और विभिन्न तरह के छपे हुए स्टेशनरी जो अन्य कार्यों से संबंधित थे, फ्यूल निर्गत पंजिका के रुप में उपयोग किए जाते थे। इससे एचएसडी तेल की निर्गत मात्रा में हेराफेरी की गुंजाईश रह जाती है।

(ii) यूनिट में स्टॉक सत्यापन फ्यूल निर्गत पंजिका में इंदराज की गई प्रविष्टियों के बिना प्रतिपरीक्षण के की गई तथा केवल फ्यूल निर्गत पंजिका की दैनिक निर्गत मात्रा की जोड़ को लेजर में की गई प्रविष्टि से मिलान कर लिया गया। अत: स्टॉक सत्यापन केवल निर्गत की गई मात्रा के जोड़ की जाँच करने तक सीमित था।

(iii) शिफ्ट प्रभार का आदान-प्रदान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए संयुक्त प्रक्रिया आदेश के अनुरुप नहीं किया गया तथा डिप की मात्रा स्टोरेज टैंक का बिना वास्तविक डिप मापे रिकार्ड किया गया।

Loan register kept with the unit was maintained casually, it did not bear the signature of the official of the centralised unit issuing the material, it was not page numbered and all the enteries were struck off. The official who issued the material also did not sign on the issue voucher. Loan register is not a recognised document for accountal of receipt and issue of material.

Concerned SSEs and the material issuer have been taken up under Minnor Penalty.

3. Irregularity in RCD in receipt, accountal and issue of HSD oil

- R.K. Singh

Chief Vigilance Inspector (Medical)

i. During a surprise vigilance check of receipt, accountal and issue of HSD oil at one of the RCDs, huge shortage of 38,000 ltrs of HSD oil was found. During investigation it was noted that HSD oil was issued in the unit by fuel issuers without taking acknowledgement of drivers. Only names of drivers were written in the fuel issue register by fuel issuers themselves. Some where even names of drivers were also not written against the fuel issued. There was no standard format for Fuel Issue Register and different types of printed stationeries meant for other works were used as Fuel Issue Register. This leaves room for manipulation of issued quantity of HSD oil.

ii. Stock verification was done in the unit without cross checking the entries made in the fuel issue register and only totaling of the daily issues made in the fuel issue register was matched with the entry made in the ledger. Stock verification was therefore confined to only checking the correctness of the totaling of total issues of HSD oil made daily.

iii. Handing over/taking over of shift charge was not as per JPO issued by Railway Board and DIP measurement was recorded without taking actual DIP measurement of storage tanks.

(iv) इन गड़बड़ियों तथा 38000 लीटर एचएसडी तेल की कमी जो सतर्कता जाँच में पाई गई के लिए संबंधित आरसीडी के प्रभारी के विरुद्ध दीर्घ दंडारोपण की प्रक्रिया अपनायी गई है। संबंधित फ्यूल निर्गतकर्त्ता के विरुद्ध लघु दंडारोपण की प्रक्रिया अपनाई गई है तथा स्टॉक सत्यापक को लिखित चेतावनी दी गई है।

(v) यांत्रिक विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि सर्व संबंधित को एचएसडी तेल के निर्गत करने के लिए मानक प्रपत्र में रिकॉर्ड का रख-रखाव करना सुनिश्चित करने हेतु सलाह दिए जाएँ, एचएसडी तेल के निर्गत और प्राप्ति के लिए कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएँ इस बाबत निर्देश जारी किए जाएँ तथा ड्राइवर के द्वारा एचएसडी तेल की स्वीकृति के लिए एक समान प्रणाली अपनाई जाए।

4. प्रतिष्ठान को किए गए अग्रिम भुगतान की गैर-वसूली/ गैर-समायोजन के कारण संभावित घाटा

- रणजीत कुमार
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

☞ स्टॉक मद ऑयल सर्वो 606 आर आर के 287 कि.ली. की आपूर्ति हेतु मेसर्स 'X' को अग्रिम बीजक के विरुद्ध अग्रिम भुगतान की शर्त के साथ क्रयादेश दिया गया। क्रयादेश कीमत-परिवर्तन धारा के साथ यथा 'आपूर्ति की तारीख का दर मान्य होगा' के साथ जारी किया गया।

☞ करीब रु. 3.62 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्रतिष्ठान को किया गया। आपूर्ति की तिथि को सामग्री का दर यथा बीजक दर क्रयादेश के दर से कम था। सामग्री की प्राप्ति के बाद, स्टॉकिंग डिपो के द्वारा प्राप्ति नोट बीजक दर (जो कि कम था) की बजाय क्रयादेश दर पर बनाया गया। प्राप्ति नोट को क्रयादेश दर की बजाय बीजक दर पर बनाना चाहिए था।

☞ संबद्ध वित्त के द्वारा भी गलत ढंग से बीजक दर के बदले क्रय दर पर प्राप्ति नोट का प्राइसिंग (मूल्यांकन) किया गया। प्राप्ति नोट के गलत मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप औसत खाता दर (बी.ए.आर.) का निर्धारण भी गलत हुआ, जिसे प्रत्येक शुद्ध प्राप्ति के बाद संशोधन किया जाता है तथा तत्पश्चात् सभी लेन-देन (प्राप्ति एवं निर्गम) गलत औसत खाता दर पर ही किए गए जिसके फलस्वरूप मांगकर्ता को गलत डेबिट एवं भंडार उचंत को गलत क्रेडिट किया गया।

iv. In-charge of the concerned RCD unit has been taken up under major penalty for the above irregularities and shortage of HSD oil of 38,000 ltrs found in vigilance check. Concerned Fuel Issuers have also been taken up under minor penalty and the Stock verifier has been issued recorded warning.

v. Mechanical department has been requested to advise all concerned to ensure maintenance of records for HSD oil issued in a pre-printed standard format at RCDs, issue suitable instruction as to how to maintain the records for issue/ acceptance of HSD oil and for maintaining a uniform system for acknowledgement of HSD oil by drivers.

4. Likely loss due to non-recovery/adjustment of advance payment made to firms for non-supply of material

- Ranjeet Kumar
Chief Vigilance Inspector (Stores)

☞ For supply of a stock item Oil Servo 606 RR, purchase order was placed on M/s 'X' for 287 KL with the condition of advance payment to be made to the firm against proforma invoice. Purchase order was placed with price variation clause i.e. the price prevailing on the date of supply would be considered.

☞ Advance payment to the tune of about Rs 3.62 Cr was made to the firm. The rate of material on the date of supply i.e. the invoice rate was less than the rate of the purchase order. After receipt of material, stocking depots granted receipt notes at the rate of purchase order instead of the invoice rate (which was lower). Receipt Note was required to be granted at Invoice rate instead of PO rate.

☞ Associated finance also wrongly did pricing of the Receipt Notes at the PO rate instead of the invoice rate. Wrong pricing of the receipt note resulted in fixation of wrong Book Average Rate (BAR) which is revised after very fresh receipt and consequently all transactions (receipts and issues) were thereafter made at wrong BARs ultimately resulting into wrong Cr to stores suspense and Dr to indenters.

☞ फर्म के द्वारा क्रयादेश की पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई (आदेशित मात्रा 287 कि.ली की अपेक्षा लगभग 285 कि.ली. आपूर्ति की गई) और अन्तत: फर्म के पास रु. 20,28,944/- (रुपये बीस लाख अठाईस हजार नौ सौ चौवालीस) शेष बच गया जिसके लिए सामग्री की कोई आपूर्ति नहीं की गई। मुख्यालय लेखा विभाग के द्वारा उचंत खाता का रख-रखाव फर्म द्वारा की गई आपूर्ति एवं फर्म के पास बकाया शेष अग्रिम के संदर्भ में किया जाता है।

☞ जाँच के दौरान यह पाया गया कि इस क्रयादेश के सन्दर्भ में उचंत खाता में रु. 99,30,211/- का शेष उचंत दिखाया जा रहा था यद्यपि एक वर्ष पूर्व ही सामग्री प्राप्त की गई थी। उचंत खाता में वास्तविक बाकी शेष उचंत से अधिक रकम दिखाई गई जिसके निम्न कारण हैं :-

(क) एक वर्ष के बाद भी सम्बंधित लेखा विभाग द्वारा कुछ केसों में मूल्यांकित प्राप्ति नोट को समय से मुख्यालय लेखा विभाग को नहीं भेजा गया। मंडल लेखा कार्यालय में कुछ केसों के मूल्यांकन प्राप्ति नोट की प्रति का पता भी नहीं चला और सतर्कता जांच के बाद उसकी छायाप्रति मुख्यालय लेखा विभाग को भेजी गयी।

(ख) संबंधित लेखा विभाग से मूल्यांकित प्राप्ति नोट प्राप्त होने के बावजूद कुछ प्राप्ति नोट की उचंत खाते में प्रविष्टि नहीं की गई तथा कुछ की प्रविष्टि दूसरे क्रयादेश के सन्दर्भ में की गई।

कोई वसूली या समायोजन फर्म को किए गए रु. 20,28,944/- के अधिक भुगतान के लिए वित्त द्वारा नहीं सुझाया गया। लेखा विभाग से आग्रह किया गया है कि रेलवे बोर्ड के सलाह एवं स्टोर कोड के प्रावधानों के अनुसार उचंत क्रय के खाते का सही रख-रखाव करें तथा स्टॉकिंग डिपो से संबंद्ध लेखा कार्यालय को प्राप्ति नोट के सही मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश दें। जवाबदेह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

5. भंडार का प्रभार नहीं प्रदान करना

- अरुण कुमार

मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक मंडल के कर्षण वितरण विभाग में औचक सतर्कता जाँच के क्रम में यह पाया गया कि कर्षण वितरण के युनिट 'X' स्थित एक गोदाम में, कॉपर कॉन्टैक्ट वायर, कॉपर कैटेनरी वायर, कॉपर ड्रापर वायर, फास्टेनर्स, इन्सूलेटर्स,

☞ Supply of full PO quantity was not made by the firm (approximately 285 KL was supplied against ordered quantity of 287 KL) and ultimately Rs. 20,28,944.00 remained outstanding with the firm for which no supply was made. Suspense register is maintained by HQ finance to keep record of supplies made by the firm and outstanding advance due with the firm.

☞ During investigation it was noted that suspense register showed outstanding suspense of Rs 99, 30, 211/- against this PO even though supplies were received more than one year ago. Suspense register showed higher amount of outstanding suspense balance owing to the reason that -

a Associated finance did not send priced receipt notes to HQ finance in time in some cases even after one year. In few cases priced copy of receipt note was not traceable at divisional finance office and after vigilance investigation zerox copy of the same was sent to HQ finance.

b. After receipt of priced receipt notes from the associated finance some of the receipt notes were not posted in the suspense register and some were posted against other PO.

No recovery/adjustment was suggested by finance from the firm for excess payment of Rs. 20, 28,944.00. Finance department was requested to streamline the maintenance of Suspense register as per provisions of the stores code and advice of Rly Bd and for correct pricing of Receipt Notes by associated finance office of the stocking depots. Responsible staff has also been taken up.

5. Non-handing over of the charge of stores

- Arun Kumar

Chief Vigilance Inspector (Stores)

During a surprise vigilance check, it was noted that in one of the godowns of a unit 'X' of TRD unit of a division, huge amount of about 25 types of ferrous and non-ferrous TRD material new as

जी.आई. ब्रैकेट पाइप, स्टील पाईप, स्टील तार आदि करीब 25 तरह के विभिन्न प्रकार के लौह एवं अलौह धातु के कर्षण वितरण से संबंधित नये एवं स्क्रैप सामग्री काफी बड़ी मात्रा में पड़े हुए थे। संबंधित कनीय अभियंता/कर्षण वितरण/युनिट X इन सामग्रियों से संबंधित किसी प्रकार का खाता बही नहीं दिखा सके एवं उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते हैं कि कितने समय से और कितनी मात्रा में विभिन्न सामग्री गोदाम में पड़े हुए हैं। उन्होंने पुनः बताया कि वे इस युनिट के स्टॉक होल्डर नहीं हैं और इन सामग्रियों के लिए इस युनिट 'X' में किसी प्रकार का खाता-बही मेन्टेन नहीं किया जाता है।

कनीय अभियंता/क.वि./युनिट/ X ने यह भी बताया कि वे इस गोदाम में अनुभाग से लौटे हुए सामग्री को रखते हैं, इस गोदाम से इन स्क्रैप सामग्री को निष्पादन हेतु केन्द्रीय भंडारण युनिट भेजते हैं, कन्ट्रेक्चुअल वर्क के तहत नई सामग्री को आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करते हैं एवं केन्द्रीय भंडारण युनिट के व.अ.अ./उ.उप./युनिट Y से रख-रखाव हेतु सामग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्होंने इन सामग्रियों के लिए खाता-बही नहीं रखा है। उन्होंने सूचित किया कि व.अ.अ./उ.उप./युनिट Y जो कि स्टॉक होल्डर हैं, के द्वारा खाता बही का रख-रखाव किया जाता है। क.अभि./क.वि./युनिट X के प्रभारी अधिकारी ने भी यह पुष्टि की कि व.अ.अ./उपरी उपस्कर/युनिट Y ही क.अ./क.वि./युनिट X में पड़े हुए सामग्रियों के स्टॉक होल्डर हैं।

व.अ.अभि./उ.उप./युनिट 'Y' ने बताया कि व.अ.अ./पी.एस.आई/युनिट 'Z', क.अभि./क.नि./युनिट X स्थित गोदाम में रखे हुए सामग्री का पूर्व में स्टॉक होल्डर थे। हलांकि उन्हें (व.अ.अभि./उप.उपस्कर/युनिट Y) क.अभि./क.वि./युनिट X स्थित सामग्रियों का भंडारी बना दिया गया है लेकिन सामग्रियों का प्रभार व.अ.अभि./पी.एस.आई./युनिट Z जो पहले स्टॉक होल्डर थे के द्वारा उन्हें नहीं दिया गया है।

व.अ.अ./पी.एस.आई./युनिट Z ने स्पष्ट बताया कि वे कर्षण वितरण युनिट X के स्टॉक होल्डर थे परन्तु वे युनिट X स्थित सामग्रियों के लिए अलग से खाता-बही नहीं रखते थे। वे कन्ट्रैक्च्युअल कार्य के तहत युनिट X के लिए सामग्री प्राप्त करते थे जिसे वे बाद में युनिट X को भेज देते थे। उन्होंने युनिट X के लिए सामग्री निर्गत किए हैं, जिसके लिए क.अभि./क.वित./युनिट X द्वारा उन्हें माँग पत्र भेजा जाता था। उन्होंने पुनः बताया कि क.अ./क.वि./युनिट X, क्रेडिट नोट के द्वारा स्क्रैप सामग्रियों को उनके युनिट में निष्पादन हेतु भेजा करते थे।

well as scrap viz. Cu contact wire, Cu catenary wire, Cu dropper wire, fasteners, insulators, GI Bkt Pipe, Steel wires, etc were lying. The concerned JE/TRD/Unit 'X' could not show any ledger for these items and stated that he did not know since when and how much quantity of different items are lying in the godown. He further told that he is not the stock holder of the unit and no ledger for these items is maintained in the unit 'X'.

JE/TRD/Unit 'X' also stated that in this godown he keeps the materials released from sections, sends these scrap material for disposal from the godown to the centralized stocking unit, receives new materials against contractual work from firms as well as materials for maintenance from the centralized stocking unit under SSE/OHE/Unit 'Y' but he does not keep any ledger for these items. He informed that ledger is maintained by SSE/OHE/Unit 'Y' who is the stock holder. The controlling officer of the JE/TRD/Unit 'X' also confirmed that SSE/OHE/Unit 'Y' is the stock holder of the materials found in the godown of JE/TRD/Unit 'X'.

SSE/OHE/Unit 'Y' stated that SSE/PSI/Unit 'Z' was earlier the stock holder of the materials lying in the godown of JE/TRD/Unit 'X'. Though he (SSE/OHE/Unit 'Y') has been made stock holder of the materials of JE/TRD/Unit 'X', charge of materials of Unit 'X' has not been given to him by SSE/PSI/Unit 'Z' who was the stock holder earlier.

SSE/PSI/Unit 'Z' confirmed that he was stock holder of the TRD Unit 'X' but he did not maintain any separate ledger for the materials at Unit 'X'. He received material for contractual work for the unit 'X' and sent them to the unit 'X' later on. He also issued material for unit 'X' for which demand was sent to him by JE/TRD/Unit 'X'. He further stated that JE/TRD/Unit 'X' used to send scrap material to his unit for disposal on credit note.

व.अ.अभि./पीएसआई/युनिट Z ने कहा कि दो वर्ष पहले व.अ.अभि./उपरी उपस्कर/ युनिट Y को क.वित. युनिट X का प्रभारी भंडारी बनाया गया। लेकिन चूँकि उसने युनिट X के लिए अलग खाता बही नहीं रखा है, अत: उसने युनिट X की सामग्रियों का प्रभार व.अ.अभि./उपरी उपस्कर/युनिट Y को नहीं सौंपा है।

कर्षण वितरण युनिट X के गोदाम में उपलब्ध सामग्रियों की सूची का संयुक्त निर्धारण, सतर्कता टीम के द्वारा भंडारी, कनिष्ठ अभियंता/कर्षण वितरण/युनिट X, भंडार सत्यापक एवं रेसुब के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। संयुक्त दल के द्वारा संयुक्त निर्धारण के दरम्यान लगभग रु 18 लाख मूल्य की करीब 25 विभिन्न सामग्रियाँ जिसमें 900 कि.ग्रा. स्क्रैप सामग्री - कॉपर कान्टैक्ट, कैटेनरी एवं ड्रॉपर वायर, 1100 कि.ग्रा. नयी सामग्री- कॉपर कान्टैक्ट, कैटेनरी एवं ड्रॉपर वायर, 500 नग नया इन्सूलेटर, पाईप ब्रैकेट, स्टील वायर, स्टे रॉड, ब्रैकेट ट्यूब, इत्यादि शामिल हैं, पाए गए।

यदि किसी युनिट का भंडारी एक बार बदला जाता है तो यह आवश्यक है कि भंडार स्थित सामग्रियों का प्रभार आदान-प्रदान की प्रक्रिया सुनिश्चित कर ली जाए। युनिट भंडार से किसी प्रकार की सामग्री का लेन-देन प्रभार आदान-प्रदान की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात ही होना चाहिए।

मामले की जाँच अभी जारी है।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E (D&A) 2007/GS 1-1 दिनांक 17.06.2009 के आलोक में पे बैंड-2 (₹ 9300-34800) ग्रेड में ₹ 4600/- तथा उसके ऊपर कार्यरत सभी पर्यवेक्षी कर्मचारी-वर्ग के द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का वार्षिक ब्यौरा जमा करना जरूरी है।

SSE/PSI/Unit 'Z' stated that two years ago SSE/OHE/Unit 'Y' was made stock holder of TRD/Unit 'X'. But as he did not maintain any separate ledger for the material at Unit 'X', he did not hand over the charge of material of Unit 'X' to SSE/OHE/Unit 'Y'.

Joint assessment of the inventory available in the godown of TRD Unit 'X' was done by the vigilance team with the stock holder, JE/TRD/Unit 'X', stock verifier and RPF representative. About 25 numbers of new as well as scrap items including about 900 kgs of Scrap Cu contact, catenary, dropper wire, about 1100 kg of new Cu contact, catenary and dropper wire, 500 nos new insulators, GI pipe Brackets, fasteners, steel wire, stay rod, bkt tube, etc valuing approximately Rs 18 lakh have been found lying in the godown.

Once the stock holder of a unit is changed it needs to be ensured that handing over/taking over of the charge of stores has been made. Any transaction of stores from the unit is to be made only after handing over/taking over.

The case is under investigation.

Railway Board vide their letter No. E(D&A)2007/GS1-1, dated 17.06.2009 have decided that in the context of acceptance of the recommendations of sixth Central Pay Commission, all supervisory staff working in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs. 4600 will now have to submit an Annual Return of their immovable property.

- मो. जावेद अख़्तर
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

1. पी एफ शेड के कार्य निष्पादन में अनियमितता

एक निवारक मामले की जाँच के दौरान देखा गया कि मद के नामकरण के अनुसार, 0.91 मिमी मोटी जिंदल/हिण्डाल्को ब्राण्ड के कारूयूगेटेड एल्युमिनियम सर्क्यूलर शीट की आपूर्ति कर यथोचित स्थान में लगाना था। लेकिन संयुक्त जाँच के दौरान यह पाया गया कि शेड में लगी सभी शीट 0.8 मिमी मोटी थी तथा जिंदल/हिंडाल्को ब्राण्ड की नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 0.91 मिमि. मोटी जिंदल या हिंडाल्को ब्राण्ड की कोर्‌यूगेटेड एल्युमिनियम शीट के स्थान पर 0.5 मिमी मोटी ड्यूराशाईन ब्राण्ड का कोर्‌यूगेटेड टैपीज्वायडल गैल्वेनियम शीट लगायी गयी थी। इस प्रकार खराब गुणवत्ता की कोर्‌यूगेटेड एल्युमिनियम शीट पी एफ शेड के कार्य में लगाई गयी है।

इस कार्य के लिए शेड्यूल के आईटम के अनुसार 'इस्पात कार्य के लिए सप्लाई, फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन कार्य चैनल की रु. 72245.30 प्रति मि.ट.', एंगल का रु. 71220.00 प्रति मि.ट. एवं प्लेट का रु. 64131.50 प्रति मि.ट. के दरों पर अलग-अलग उपलब्ध थे। संयुक्त जाँच के समय यह पाया गया कि प्लेट एवं एंगल का भी उपयोग कालम तथा पर्लिन के फैब्रिकेशन कार्य में हुआ था लेकिन सम्पूर्ण कालम एवं पर्लिन के इस मद कार्य का भुगतान चैनल वाले आईटम के विरुद्ध यानि कि रु. 72245.30 प्रति मि.ट. की दर से कर दिया गया। इस प्रकार, ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अलावा, इस मद का भुगतान, इन कालमों के निर्माण में प्रयोग किये गये विभिन्न संरचनात्मक स्टील सेक्शन के लंबाई के आधार पर न करके प्रत्येक कालम एवं पर्लिन के वजन के आधार पर किया गया। 'कार्य एवं पदार्थ के लिए मानक विनिर्देश 2008' अध्याय-12 के पारा 7.0 (ii) के अनुसार 'जबतक अन्यथा न कहा गया हो, इस्पात कार्य से संबंधित भुगतान, किये गये कार्य के परिकलित वजन (कैलकुलेटेड वेट) के आधार पर होगा। वजन की गणना में, फैब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त सभी मेम्बर का ओवरऑल लेंथ (मेजर्ड स्क्वायर) ध्यान में रखा जायेगा तथा रिवेट या वोल्ट छेद, स्क्यू-कट, नाचेस इत्यादि के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।

- Md. Jawaid Akhtar
Dy. Chief Vigilance Officer (Engg.)

1. Irregularity in execution of PF shed work

During the investigation of a preventive case, it was noticed that as per nomenclature of item, corrugated circular aluminum sheets of 'Jindal'/'Hindalco' brand of 0.91mm thickness was required to be supplied and erected in position. But during the course of joint check, it was found that these laid sheets were of 0.8mm thick and also, these were not of Jindal/Hindalco brand. In addition to this, corrugated trapezoidal Galvanium sheet of 'Durashine' brand of 0.5mm thickness was also laid in position against aluminum sheet of 'Jindal' or 'Hindalco' brand of 0.91mm thickness. Thus inferior quality of corrugated circular aluminum sheets have been provided for PF shed works.

As per item of schedule for this work "supplying, fabricating, erecting steel work for Channels @ Rs. 72245.30 per MT", angles etc @ Rs. 71220.00 per MT & Plates @ Rs. 64131.50 per MT were available separately. During joint check it was found that plates and angles were also used for fabrication of columns and purlins but payment of entire columns and Purlins was made against item of Channels i.e. @ Rs. 72245.30 per MT. Thus excess payment made to the contractor. Besides this, payment was not released on the basis of length of different structural steel sections used in manufacturing of these columns @ standard unit weight of the used sections ; rather payment was released on the basis of weight per such fabricated columns and fabricated Purlins. As per para 7.0 (ii) of chapter-12, standard specifications for works and materials' 2008 "Unless otherwise stated, payment for steel work shall be based on the calculated weight of the finished work. In calculating the weight, the overall lengths of the members used in the fabrication (i.e. measured square) will be taken into account and no deduction will be made for rivets or bolt holes, skew-cuts, notches etc".

यह भी पाया गया कि लगभग 30 मी. लंबी 4 स्टील ज्वायेस्ट 125x75x6 मिमी. सेक्शन के, आपूर्ति, फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन किया गया एवं इस कार्य का भुगतान भी कर दिया गया। परन्तु, कार्य स्थल पर संयुक्त जाँच के दौरान संयुक्त रुप से अवलोकित किया गया कि 4 आपूर्ति किये गये स्टील ज्वायेस्ट में से 3 स्टील ज्वाएस्ट पुराने एवं रिलिज्ड स्टील से निर्मित हैं। इन ज्वायेस्ट में अनेक प्रकार की कमियां यथा पिटिंग, स्केलिंग, इत्यादि देखी गयी। इन ज्वायेस्ट को पास करने के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं के लेखन से मैटेरियल पासिंग रजिस्टर में एन्ट्री किया गया है, परन्तु हस्ताक्षर उनके सहायक जे.ई. द्वारा किया गया है तथा तत्कालीन ए.ई.एन. द्वारा पास किया गया है। इस केस की जाँच कर ली गयी है एवं आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

2. जल भंडारण टैंक के आपूर्ति एवं फिक्सिंग में अनियमितता

निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि सामग्री पासिंग रजिस्टर के अनुसार 'सिंटेक्स ब्रांड' टैंकों को पास किया गया है, लेकिन 'रेनो' ब्रांड का फिक्स किया गया है। जाँच के दौरान यह पाया गया कि इस कार्य का कार्यादेश ईसीआर, एसओआर-2008 के मद संख्या-11028 के अनुसार यानि कि तीन परत का जिसमें बीच का परत पॉलीथीन फोम इनसुलेशन के रूप जल भंडारण टैंक होना है और 3 मंजिल तक सभी लीड और लिट के साथ मौजूदा पाईप लाइनों (इनटेक, डेलिवरी एवं ओवरलो) से कनेक्शन होना है, जारी हुआ है। तद्नुसार प्रति 1000 लीटर एवं 500 लीटर के टैंक का भुगतान क्रमशः 7261.73 रुपये एवं 3,822.68 रुपये की दर से हुआ है। जबकि, उत्पाद विवरण की जाँच एवं आपूर्तिकर्ता के जवाब से स्पष्ट है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तीन परत का उत्पादन केवल सिंटेक्स ब्रांड में करती है रेनो ब्रांड में नहीं। इस प्रकार काम में इस्तेमाल टैंक सामग्री स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं था।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ईसीआर, एसओआर मद संख्या 11027, पीवीसी वाटर टैंक, आईएसआई मार्क (IS-12701:1966) रोटेशनल, मोल्डेड पालीथीन जल संग्रहण टंकियों, सिलिन्ड्रिकल वर्टिकल, सिन्टेक्स/पालीकान का ढक्कन या समान तथा मौजूदा पाईप लाइनों (इनटेक, डेलिवरी एवं

It is also observed that four lengths of Steel Joists of 125x75x6mm sections of approx. 30m length each has been supplied fabricated and erected and payment for this item has been released. During the joint check at site, it was jointly observed that out of such four lengths of Steel joists, three length Joists have been manufactured by old and released Steel Joists. Various defects like pitting, scaling, etc. were found over these fabricated Joists. Entry for passing of these joists in Material passing register had been done by the then incumbent in-charge supervisor of this work in his own writing, but signed by his assisting JE and passed by the then AEN. Case has been investigated and Disciplinary action has been initiated against charged officials.

2. Irregularity in Supply & fixing water storage tanks

During the course of preventive check, it was noticed that the water tanks of 'Reno' brand was supplied and placed in position however, as per material passing register, tanks of 'Sintex brand" was passed. During scrutiny, it is observed that Work Order for the work in question had been prepared for Item no.11028 of ECR, SOR 2008 i.e. for "Supplying, hoisting placing in position triple layer moulded polyethylene water storage tanks cylindrical vertical with polyethylene foam insulation as intermediate layer including lid of 'Polyfoam' or equivalent and making connections with existing pipe lines (intake, delivery and overflow etc) with all lead and lift upto 3 storey". Accordingly, payment for the water storage tanks of 1000 litre and 500 litre capacity has been made against this item @ Rs. 7261.73 and Rs. 3822.68 respectively. However, after scrutiny of the product details and clarified from the supplier, it is observed that the Tanks of 'Reno' brand are Sintex make and 'Sintex Industries Ltd manufacturers up to double layer tanks only in RENO brand and do not manufacture triple layer tanks in RENO brand, they manufacture triple layer tanks in Sintex brand only. Thus the material used in the work was not as per specifications.

Further, it is observed that item of PVC water tank of lower specification, item no 11027 of ECR, SOR 2008 i.e. for "Supplying, hoisting placing in position ISI marked (IS:12701-1966) rotational moulded polyethylene water storage tanks cylindrical vertical with lid of 'Sintex'/'polycon' or equivalent and making connections with

ओवरफ्लो) से 3 मंजिलों तक सभी लीड एवं लिट के साथ, कनेक्शन' कम दर पर उपलब्ध है। जिसका रेट प्रति 1000 लीटर एवं 500 लीटर क्षमता के लिए क्रमशः रु. 5835.34 एवं 3105.58 है।

इस प्रकार, घटिया किस्म का सामान कार्य में लिया गया जबकि भुगतान उच्च किस्म के सामान का किया गया है। अगर भुगतान एसओआर के मद सं. 11027 के अनुसार होता तो 32506.876 रुपये [(3822.68-3105.58] x 25 + (7261.73-5835.34) x 10 = 32191.40 + 643.828 (2% अधिक) = 32835.228-328.352 (1% छूट) = 32506.876, का बचत किया जा सकता था। मामला जांच के अधीन है।

आध्यात्मिक निष्ठा ईमानदारी की पहचान है।

– एस. राधाकृष्णन

मैं हर दिन एक नयी चीज सीखूँगा।
मैं नित्य आसन करूँगा, तमस् हटाने के लिए।
मैं सूर्य-नमस्कार करूँगा, आलस्य भगाने के लिए।
मैं सद्गुणों को अपनाऊँगा, मन को सात्त्विक बनाने के लिए।
मैं सदा आगे बढ़ूँगा, जीवन-लक्ष्य पाने के लिए।

–परमहंस स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

existing pipelines (intake, delivery and overflow etc) including all lead and lift up to 3 storey" of 1000 litre and 500 litre capacity @ Rs. 5835.34 and Rs. 3105.58 respectively are already available.

Thus, sub standard material has been passed and used in the work and payment made against the higher rate item. Moreover, If payment is made as per item supplied i.e. against item no. 11027 of SOR, then approximate Rs. 32506.876 [(3822.68 - 3105.58) x25+ (7261.73 - 5835.34) x 10 = 32191.40 + 643.828 (2%above) = 32835.228 - 328.352 (1%rebate) = 32506.876] could be saved. The case is under investigation.

He who knows no Rules and follows none, Just cannot be a servant of the people

-Mahatma Gandhi

An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody will see it.

-Mahatma Gandhi

- एस.पी.एस. यादव,
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत

1. एसी कोचों के आर.एम.पी.यू. के अनुरक्षण के लिए आमंत्रित निविदा में रेलवे बोर्ड के निर्देशों का अवहेलना

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में जांच के दौरान यह पाया गया कि आर. एम.पी.यू. कोचों के अनुरक्षण की दर 50% तक कम हो गयी जब एकल निविदा के बजाय आर.डी.एस.ओ. से अनुमोदित स्रोतों से खुली निविदा मंगायी गई। जब आर.डी.एस.ओ. से अनुमोदित स्रोतों से खुली निविदा मांग की गई तब जिस संवेदक ने सन् 2008 में ₹ 9110/- प्रति कोच की दर से दी थी उसी संवेदक ने सन् 2010 में इस दर को ₹ 4280/- प्रति कोच कर दिया।

इस अवधि में दर में यह कमी, मजदूरी दर और सामग्री के दामों में हुई बढ़ोत्तरी के बावजूद आई थी। इस तरह ओ.ई.एम से एकल निविदा के बजाय आर.डी.एस.ओ. से अनुमोदित स्रोतों के बीच खुला निविदा मंगाने पर प्रतिस्पर्धा के कारण कुल लागत में कमी आई।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2006/Elect (G)/114/2 dtd. 14.07.2008 के अनुसार आर.डी.एस.ओ. के द्वारा अनुमोदित स्रोतों के बीच में खुला निविदा के लिए महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन भी नहीं लिया गया था।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 94/Elect (TRS)/441/1 pt. III dtd. 06.08.2009 के पैरा 5 के अनुसार 'जहां पर कोई ऐसा फर्म न्यूनतम दर प्रस्तुत करती है जो आर.डी.एस.ओ. के "STR" (Schedule of Technical require-ment) को पूरा करती है लेकिन आर.डी.एस.ओ. के द्वारा अनुमोदित नहीं है और दर आर.डी.एस.ओ. के द्वारा अनुमोदित स्रोतों के दर से कम है तो ऐसी फर्मों के बीच में RDSO के अनुमोदन का इन्तजार किये बिना निविदा की कुल मात्रा का 20% दिया जा सकता है'। निविदा करते समय इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया और इस शर्त को निविदा कागजात में भी शामिल नहीं किया गया। रेलवे बोर्ड के 20% विकासात्मक आदेश के कारण आर.एम.पी.यू. के कोचों के अनुरक्षण के लिए और भी प्रतिस्पर्धी दर के आने के संभावना है।

- S.P.S. Yadav
Dy. Chief Vigilance Officer (Elect)

1. Violation of Railway Board's instructions in calling tender for maintenance of RMPU of AC coaches.

During a check in one of the divisions of ECR, it was found that the rates of the maintenance of RMPU coaches came down to 50% when open tender from all RDSO approved sources was called as compared to when it was single tender from the OEM. The same tenderer quoted in single tender ₹ 9110/- per coach month in 2008 as compared to ₹ 4280/- per coach month in a open tender open to RDSO approved sources in 2010.

This reduction in rate was in spite of increase in labour and the material cost in the intervening period. The overall cost was reduced when the element of competition was brought in from OEM to all RDSO approved sources.

In the case of open tender from the RDSO approved sources. The approval of General Manager was not taken before calling for tender as advised vide Railway Board's letter no. 2006/Elect (G)/ 114/2 dtd 14.07.2008. The letter issued from the Railway Board no. 94/Elect (TRS)/441/1 pt. III dated 06-08-2009 was also not taken into consideration and provided in the tender documents. According to Para (v) of this letter "where offers of firms other than those figuring in the RDSO's approved list of source for repair/rehabilitation happens to be lower than that of any of the RDSO approved sources, then 20% of the tender quantity may be awarded amongst them without waiting for the approval of RDSO for placing developmental orders, provided these firms fulfill the RDSOs schedule of technical requirement (STR)." It is expected that the Railway Boards above advice of 20% developmental orders could have brought in more competitive rates for maintenance of RMPU coaches.

2. निविदा में आकलित मूल्य का अवप्राक्कलन तथा अनावश्यक दर–वार्ता

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में जांच के दौरान यह पाया गया कि जिस निविदा की आकलित और विज्ञापित राशि ₹ 39,67,325/– थी उस निविदा का ठेका ₹ 71,62,653/– में दिया गया। अतः आकलित मूल्य और ठेका मूल्य में 80.54% का वृहत अंतर था। आकलित और विज्ञापित पर के आधार पर तकनीकी योग्यता के लिए जरूरी क्रेडेंशियल अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले 3 वर्षों में किसी एक पूर्ण कार्य का भुगतान ₹ 13,88,563 तथा वित्तीय क्रेडेंशियल के लिये चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों में कुल संविदात्मक भुगतान ₹59,50,987/– होना चाहिए था।

एकमात्र निविदाकर्ता ने ₹14,92,986/– का तकनीकी योग्यता तथा ₹ 61,29,781/– का वित्तीय योग्यता से संबंधित क्रेडेंशियल जमा किया।

यदि निविदा के सही मूल्य का आकलन अद्यतन एल.ए.आर./दर विश्लेषण के आधार पर किया गया होता तो तकनीकी तथा वित्तीय योग्यता के लिए जरूरी क्रेडेंशियल क्रमशः ₹25,06,928/– तथा ₹ 1,07,43,979/– होते।

अतः एकमात्र निविदाकर्त्ता के द्वारा जमा किए गए क्रेडेंशियल अपर्याप्त थे। तकनीकी योग्यता का क्रेडेंशियल 44.6% तथा वित्तीय योग्यता का क्रेडेंशियल 43% कम था जो कि आवश्यकता से काफी दूर है। इस तरह निविदा के कम आकलित मूल्य के कारण एक अयोग्य फर्म को ठेका दिया गया।

चूंकि आकलित मूल्य मंडल के केवल एक पुराने एल.ए.आर. के आधार पर था निविदा समिति तथा निविदा स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तावित दर के विश्लेषण किए बिना तथा पिछले एल.ए.आर. और आकलन के समय के बीच हुई दामों में वृद्धि को भी ध्यान में नहीं रखा एवं केवल इस आधार पर कि प्रस्तावित दर आकलित दर से 81% अधिक है, अनावश्क दर वार्त्ता की गई। बाद में निविदा समिति की द्वितीय बैठक में दर वार्त्ता के बाद की दर ₹ 71,62,653/– से तुलना करते हुए मूल दर को सही ठहराया गया जबकि दर वार्त्ता के बाद मूल दर ₹ 71,79,116/– में मात्र ₹ 16,513/– थी, कमी की गई थी।

इस स्तर पर अर्थात् निविदा समिति की द्वितीय बैठक में निविदा समिति ने श्रम मजदूरी के तथा दूसरे मंडल के एल.ए.आर. के आधार पर दर का विश्लेषण किया तथा यह पाया कि प्रस्तावित दर नई आकलित दर से कम है।

2. Underestimation of assessed cost and unnecessary negotiation in the tenders

During a check in one of the divisions of ECR, it was found that the assessed and advertised value of the tender was ₹ 39,67,325/- and the awarded value of the tender was ₹ 71,62,653/-. Thus there was huge difference of 80.54% between assessed value and awarded value. As assessed and advertised value based on old rate, credential required for technical eligibility criteria i.e. one work complete in current and last 3 years was ₹13,88,563/- and credential required for financial eligibility criteria (Contractual amount received in current & last 3 years) was ₹ 59,50,987/-.

The credential submitted by the lone tenderer was of ₹ 14,92,986/- for technical eligibility criteria and ₹ 61,29,781/- for financial eligibility criteria.

Had the cost assessment done correctly on latest LAR/ analysis and correct cost advertised the credential required for technical eligibility criteria would be ₹ 25,06928/- and financial eligibility criteria would be ₹ 1,07,43,979/-.

Thus, both the credential submitted by lone tenderer was insufficient. Technical credential was 44.6% lower and financial credential was 43% lower which is quite off from actual requirement. Therefore lower assessed value of tender led to award of tender to the non-eligible firm.

As the assessed cost was based on only one old LAR of the division. TC & TAA decided for unnecessary negotiation in this tender without analysing offered rate in 1st TCM and without taking into consideration the time elapsed and simply the logic that quoted cost is 81% higher than estimated rate which was based on old LAR. Later on in 2nd TCM the negotiated cost of ₹71,62,653/- compared to original offer cost of ₹ 71,79,166/- was justified where the cost was reduced only by ₹16,513/- out of original offered cost ₹ 71,79,166/-.

At this stage i.e. 2nd TCM, TC analysed the rate based on Labour wages and a LAR of the other division and the assessed cost come more than the offered cost of the lowest tenderer.

अतः दर में कमी के लिए की गई दर-वार्ता अनावश्यक थी। रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार भी दर संबंधी वार्ता केवल इस स्थिति में की जानी चाहिए जब कि प्रस्तावित दर आकलित दर से बहुत ही अधिक हो।

3. मांग पत्र में अनियमितता तथा छोटी अवधि में उसका रद्द किया जाना

एक परिवाद की जांच के क्रम में यह देखा गया कि एक सेलेक्शन ग्रेड स्तर के अधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदन के पश्चात कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का मांगपत्र भंडार विभाग को खरीददारी करने के लिए भेजा गया। मांगपत्र को यात्री सुविधा के लिए अत्यावश्यक बताया गया था। निविदा खुलने के पश्चात जब इसे संबंधित विभाग को तकनीकी अनुशंसा के लिए भेजा गया तो मांगपत्र को इस आधार पर वापस ले लिया गया/रद्द कर दिया गया कि बाजार में प्रस्तावित तकनीक/स्पेशीफिकेशन से बेहतर तकनीक का सामन मौजूद है। मांगपत्र को पांच महीनों के अंदर वापस लिया गया/रद्द किया गया तथा नए स्पेशीफिकेशन से संबंधित कोई भी विस्तृत कारण नहीं दिया गया। परिवाद में यह आरोप लगाया गया था कि कुछ सामान की आपूर्ति पहले ही कर दी गई थी और निविदा के खुलने पर कोई दूसरी फर्म के न्यूनतम होने के कारण मांगपत्र को रद्द किया गया। मांगपत्र के वापस लेने/रद्दीकरण के पश्चात न तो कोई नया मांगपत्र बनाया गया न ही कोई और कार्रवाई की गई।

यदि मानव कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है।

–डिकेन्स

ग्राहक की सेवा करके हम उस पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं।

बल्कि अपनी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान करके वह हम पर कृपा कर रहा है।

–महात्मा गांधी

Thus negotiation for reduction of rate was unnecessary. As per extant instruction on Railway, negotiation is to be held only when the rate is unreasonably high.

3. Irregularity in requisition and cancellation of requirement within a short period.

During investigation of a complaint case it was found that the requisitions for electronic gadgets were submitted to stores branch duly technically approved by a selection grade officer. The requisition was marked urgent for passenger amenity. The requisitions were withdrawn/cancelled on the ground of better technology & specification in the market after the bids were opened and the case was sent for technical recommendation. The requisitions were withdrawn/cancelled within five months and no detailed reasons indicating new specification was recorded. It was alleged in the complaint that part materials were received but after opening of tender it was cancelled because some other firm become lowest. After withdrawal/cancellation of requisition, no fresh requisition or action was taken.

The earth provides enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed.

- Mahatma Gandhi

Unity blossoms when there is appreciation of the values of each person and their special contribution.

केस अध्ययन

- **श्री अवधेश कुमार सिन्हा**
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक

1. विभागीय चयन में 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट (आर.पी.एफ.) के क्लीयरेंस के संबंध में

70 प्रतिशत ग्रुप 'बी' के चयन में हुई अनियमितता का परिवाद सतर्कता संगठन को प्राप्त हुआ। इस ग्रुप 'बी' चयन में लिखित एवं मौखिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का एसपीई/विज/डीएआर क्लीयरेंस संबंधित शाखा प्राप्त कर ग्रुप 'बी' के पद पर प्रोन्नति दी गई।

पदोन्नति उपरांत परिवाद में एक मामला प्रकाश में आया कि उक्त चयन के एक सफल अभ्यर्थी 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट के मामले में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा दोषी पाए गए थे तथा सजा के रूप में 06 माह के अच्छे चाल चलन के बन्ध पत्र पर रहने की सजा की अवधि में थे। तथा उस कर्मचारी को सजा की अवधि में प्रोन्नति दी गई थी, जो चयन समिति के संज्ञान में नहीं था। मामला संज्ञान में आने के बाद विधिक राय एवं प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पदोन्नति प्राप्त अधिकारी को उनके मूल पद (ग्रुप 'सी') में पदावनति कर दी गई। माननीय न्यायालय की सजा अवधि के समाप्ति पर रेलवे बोर्ड एवं विधि विभाग दिशा निर्देश के तहत् कर्मचारी को राजपत्रित कैडर में पुनः प्रोन्नति दी गई।

सतर्कता जांच में यह पाया गया कि उक्त केस के बाद ग्रुप 'सी- से ग्रुप' 'बी' के चयन में 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट का क्लीयरेंस आर.पी.एफ. संगठन से लिया जा रहा है । परन्तु वर्तमान में ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'सी' के चयन में 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट का क्लीयरेंस नहीं लिया जा रहा है। अतः मुख्यालय एवं मंडल के कार्मिक विभाग को प्रत्येक चयन में 3 आर. पी.(यू.पी.) एक्ट क्लीयरेंस लिये जाने का सुझाव दिय गया है।

2. अर्न्तमंडलीय/अन्तर रेलवे के पारस्परिक स्थानान्तरण में अनियमितता का मामला

एक परिवाद के माध्यम से एक मंडल में पारस्परिक स्थानान्तरण में अनियमितता का मामला सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ। परिवाद के जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि पूर्व मध्य रेलवे के एक मंडल के एक ही कर्मचारी ने दो अलग-अलग कर्मचारियों के साथ एक अर्न्तमंडलीय स्थानान्तरण एवं एक अन्तर रेलवे स्थानान्तरण का संयुक्त आवेदन दिया। जिसे संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया।

CASE STUDIES

- **Sri Awadesh Kumar Sinha**
CVI/P

1. Regarding 3 RP (UP) Act (RPF) clearance in departmental selection

A complaint was received by vigilance department on the aspect of irregularities in the selection of 70% of Gr 'B' examination. In this Gr 'B' selection all the successful candidates in the written examination & viva-voce were promoted in Gr ' B' post after obtaining SPE/VIG/DAR from the concerned department.

In a complaint received after the above promotion, it came to notice that a successful candidate in the above selection was found guilty in a case of 3 RP (UP) Act by the Railway Judicial Magistrate.

The said employee was convicted for six month bail bond on condition of good behaviour during this period. He was promoted during his conviction period. After the case came to notice, legal advice & administrative decision was taken and the promoted officer was reverted to his original post in Gr. 'C'. After the completion of conviction period of the Hon'ble Court, the said employee was again promoted in the Gaz Cadre as per the guidelines of law deptt. and Railway Board.

During the vigilance check, it has been noticed that in every selection for Gr 'C' to Gr' 'B 3 RP (UP) Act clearance is being taken from the RPF deptt. But at present in the selection from Gr. 'D' to Gr 'C' and Gr. 'C' to Gr. 'C' 3 RP (UP)clearance is not being taken. It is to be mentioned that all the cases registered under 3 RP (UP) Act are criminal in nature and departmental promotion cannot be given during the pending criminal cases/conviction period. For promotion purpose clearance of 3 RP (UP) Act is essential to be obtained. Hence, personnel deptt. of the HQ & divisions has been adviced to obtain 3RP (UP) Act clearance in every selection.

2. Irregularity in inter-division/inter Railway mutual transfer

A complaint regarding irregularity in mutual transfer in a divsion was received in Vigilance Department. In course of inquiry it came to notice that an employee from a division made joint applications, one for inter divisional and the other for inter railway transfer with two different employees which were forwarded by the concerning supervisor.

मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग के संवर्ग लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अन्र्तमंडलीय आवेदन को व्यवहारिक किया जिस पर अमरेप्र के अनुमोदन से मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

इसके छ: माह बाद, दूसरा आवेदन अन्तर रेलवे के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु कार्मिक विभाग के वही संवर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसने प्रथम संयुक्त स्थानान्तरण आवेदन को व्यवहारित किया था। जिसमें प्रथम पारस्परिक स्थानान्तरण के आवेदन में एक कर्मचारी कॉमन थे, जिसे अमरेप्र के अनुमोदन के पश्चात् मुख्यालय स्तर पर करने हेतु प्रेषित किया गया। दोनों पारस्परिक स्थानान्तरण आवेदन को मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग के एक ही संवर्ग लिपिक तथा एक ही पर्यवेक्षक द्वारा व्यवहारित किया गया तथा दोनों आवेदनों को मुख्यालय प्रेषित किया। मुख्यालय स्तर पर कार्मिक विभाग के एक ही कैडर लिपिक द्वारा व्यवहारित किया गया, जिस पर मुविई द्वारा दोनों स्थानान्तरण आवेदन पर अनुमोदन दिया। अनुमोदनोपरान्त दोनों स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया। प्रथम स्थानान्तरण के आदेश के आलोक में दोनों कर्मचारी स्थानान्तरित मंडल में योगदान दिये। दूसरे आवेदन के आदेश के आलोक में अन्तर रेलवे स्थानान्तरण के फलस्वरूप दूसरे रेलवे के कर्मचारी विमुक्त होकर पूर्व मध्य रेल के मंडल में योगदान दिये तथा उनकी जगह स्पेयर होने वाले कर्मचारी प्रथम आवेदन के आलोक में अन्र्तमंडलीय स्थानान्तरण के तहत् पूर्व में ही स्पेयर हो गये थे । अत: उन्हें अन्तर रेलवे के लिए स्पेयर नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में दो कर्मचारी कार्यभार योगदन किया तथा एक कर्मचारी विमुक्त किये गये।

मंडल स्तर पर या मुख्यालय स्तर पर कभी भी इन तथ्यों की जांच नहीं की गई । जिस कारण पारस्परिक स्थानान्तरण में अनियमितता हुई। उक्त अनियमितता के लिए कार्मिक विभाग के संवर्ग लिपिक एवं पर्यवेक्षक एवं मुख्यालय स्तर पर कार्मिक विभाग के संबंधित संवर्ग लिपिक एवं पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है।

At divisional level, the application for inter divisional transfer was dealt with by a Cadre clerk of Personnel department. After six months of this application an another application for inter railway mutual transfer was put up by the same cadre clerk of Personnel department. The application, on being approved by ADRM was sent to headquarter for initiating action at their level. Both the applications for mutual transfer were dealt with by the same Cadre clerk and the same Supervisor of Personnel Department and approval was obtained from Chief Electrical Engineer. After approval, both the transfer orders were issued. In the light of the first transfer orders both the employees reported to the division to which they were transferred. In the light of the second application for inter railway transfer, the employee of the other railway, having been released, reported to the division of East Central Railway and the employee to be spared in place of him was already released earlier on the basis of the first application for inter-divisional transfer. Thus he could not be spared for Inter railway, as a result of which, two employees reported to a division for duty while one employee was spared from here.

The facts of the case were never examined at divisional or headquarter level which resulted in irregularity in mutual transfer, and for this irregularity, disciplinary proceedings against the cadre clerks and supervisors of division and head quarters have been recommended.

- **श्री कुमार ज्ञानजीत**
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

3. अग्रिम की वसूली में देरे के संबंध में

एक मंडल में किए गये निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया है कि संबंधित बिल-क्लर्क द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत अग्रिम की वसूली देर से प्रारंभ की गई है। यह पाया गया है कि कुछ मामलों में तो स्वीकृत अग्रिम की वसूली, अग्रिम की स्वीकृति की तिथि के छः माह से भी ज्यादा समय के पश्चात् प्रारंभ की गई है।

जाँच के क्रम में यह पाया गया है कि-

- संबंधित बिल-क्लर्क द्वारा स्वीकृत अग्रिम की वसूली देर से प्रारंभ की जाती है। वास्तव में, कुछ मामलों में तो स्वीकृत अग्रिम की वसूली स्वीकृति की तिथि से छः माह से भी ज्यादा समय के पश्चात् प्रारंभ की गई है।
- मंडल के बिल अनुभाग में वसूली रजिस्टर का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, जबकि आर.बी.ई. सं.- 138/2002 के पैरा सं. 04 के अनुसार प्रत्येक शाखा कार्यालय में वसूली की प्रक्रिया पर निगाह रखने के लिए वसूली रजिस्टर का प्रतिपादन किया जाना चाहिए।
- जिस मद के लिए अग्रिम की स्वीकृति की गई है, उसकी खरीदगी के साक्ष्य के रूप में खरीद-रसीद की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।
- खरीद-रसीद की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव में पेनल ब्याज (Penal interest) चार्ज किये जाने में देर हो जाती है और इसकी भी संभावना रहती है कि जिन कर्मचारियों ने खरीदगी-रसीद को जमा नहीं किया है, उन पर भी पेनल-ब्याज नहीं लगाया जाये जिससे रेलवे-राजस्व की हानि होती है।

जाँच के पश्चात् मंडल को कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत अग्रिम की समय से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए तथा जिस मद की खरीद के लिए अग्रिम को स्वीकृत किया गया है, उसकी खरीदगी-रसीद की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली सुधार पत्र (System improvement letter) लिखा गया है । स्वीकृत अग्रिम की वसूली में देरी के लिए जिम्मेवार बिल-क्लर्क के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही के लिए भी लिखा गया है।

- **Sri Kumar Gyanjeet**
CVI/A

3. Regarding delay in recovery of the advances

During a preventive-check conducted in one of the divisions, it has been observed that recovery of the sanctioned advances was started late by the concerned bill-clerk. It has been observed that in some of the cases, recovery of the sanctioned advances has started after more than 06 months from the date of sanction of the advance. During the course of investigation, it has been observed that-

- Recovery of the sanctioned advances was started late by the concerned bill-clerk. In fact, in some of the cases, recovery has started after more than 06 months from the date of sanction of the advance.
- Recovery register is not being maintained in the bill section of the division, whereas, as per para 4 of RBE No- 138/2002, recovery register should be maintained in each branch offices to monitor the recovery of advances.
- There is no any system to monitor the submission of purchase-proof of the item for which advance has been sanctioned.
- In absence of any system to monitor the submission of purchase-proof, the imposition of penal-interest gets delayed and there is also a possibility that it may not being imposed on the employees who have not deposited the purchase-proof resulting in a loss of Rly. Revenue.

After investigation, a system improvement letter has been issued to the division to ensure the timely recovery of advances sanctioned in favour of the employees and also to ensure the submission of purchase-proof of items for which advance has been sanctioned. Suitable DAR action has also been recommended against the responsible bill-clerks for delay in recovery of the sanctioned advances.

4. माल गुड्स गार्ड से वरिष्ठ गुड्स गार्ड में ।CP/MACP के तहत वित्तीय उन्नयन के पश्चात् वेतन–निर्धारण में अनियमितता के संबंध में

एक परिवाद की जाँच के क्रम में पाया गया है कि एक मंडल में 18 गुड्स गार्ड को आर.बी.ई. सं.- 233/99 के अनुसार एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दिया गया और उनका वेतन-निर्धारण भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल, 1987 के नियम 1313 (1) (a) (ii) के अनुसार कर दिया गया। यह भी देखा गया कि इस विशिष्ट मामले में वेतन-आयोग शामिल था और मकाधि ने वेतन-निर्धारण संबंधी अपना आदेश, लेखा-विभाग की विधिक्षा की शर्त पर दिया था, अतएव बढ़े हुए दर पर वेतन-भुगतान से पूर्व लेखा-विभाग की विधिक्षा आवश्यक थी। लेकिन, लेखा-विभाग की विधिक्षा प्राप्त किए बिना 18 गुड्स गार्ड का वेतन भुगतान बढ़े हुए दर पर लगातार किया जाता रहा एवं लेखा विभाग द्वारा कभी आपत्ति भी नहीं की गई।

जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि संबंधित मंडल में गुड्स गार्ड से वरिष्ठ गुड्स गार्ड में नियमित प्रोन्नति के मामले में वेतन-निर्धारण नियम 1313 (FR-22) (i) (a) (2) R-II के तहत केवल ग्रेड-पे का लाभ देकर किया जा रहा है, जबकि एसीपी/एमएसीपी के मामले में वेतन-निर्धारण नियम 1313 (FR-22) (i) (a) (i) R-I के तहत ग्रेड-पे एवं नोशनल वेतन-वृद्धि (Notional increment) का लाभ देकर किया जा रहा है । इस प्रकार यहाँ एक असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ कि एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत मिलने वाला वित्तीय लाभ समान श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ से ज्यादा है। यह भी देखा गया है कि गुड्स गार्ड के वेतन-निर्धारण के मामले में विभिन्न मंडलों में विभिन्न तरह की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

जाँच के पश्चात् विषयगत मामले में एकरूपता एवं स्पष्टता लाने के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है। बढ़े हुए दर पर 18 गुड्स गार्ड के वेतन का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही के लिए भी अनुशंसा की गई है।

4. Irregularity in pay-fixation after financial upgradation from Goods Guard to Sr. Goods Guard under ACP/ MACP Scheme

During investigation of a complaint case, it has been noticed that 18 Goods guard were given financial upgradation under ACP scheme as per RBE No- 233/99 and their pay-fixation was done as per rule 1313(1)(a)(ii) of Indian Railways Establishment Mannual, 1987. It has also been noticed that in this specific case, pay-commission was involved and DPO has given his order for pay-fixation subject to vetting by accounts, hence vetting of accounts was necessary before payment of enhanced pay. But, salary of 18 goods-guard were continued to be charged at the rate of enhanced pay, without obtaining the vetting of accounts and accounts department never objected to it.

It has also been observed that in particular division, pay-fixation in case of regular promotion from Goods guard to Sr. Goods guard is being done as per rule 1313(FR-22)(1)(a)(2)R-II by giving only the benefit of Gr. Pay, whereas, in cases of ACP/MACP's pay-fixation is being done as per rule 1313(FR-22)(1)(a)(I)R-I by giving the benefit of Gr. Pay and one notional increment. Thus, it becomes an unusual situation, where financial benefits given under the ACP/ MACP scheme is higher than the financial benefits given in the case of regular promotion under the same category. It has also been observed that different practice is being adopted by different divisions in matter of Pay-fixation of Goods guard.

After investigation, a letter has been written to CPO to bring uniformity and clarity on the subject matter. Suitable DAR action has also been recommended to the responsible employees involved in the Pay-fixation of 18 Goods guard at the rate of enhanced pay.

-श्री अमूल कुमार सिंह
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

5. इतर रेलवे में कर्मचारियों के ड्यूटी बुकिंग में अनियमितता के संबंध में

पी. आई. डी. पी. आई. के तहत इस कार्यालय को एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच इस कार्यालय द्वारा की गई। आउट स्टेशन/ इतर रेल में ड्यूटी पर कर्मचारियों की बुकिंग में अनियमितता की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इतर रेलवे में कर्मचारियों की ड्यूटी बुकिंग वरिष्ठ मंडल अभियंता के बदले सहायक अभियंता के अनुमोदन से किया गया है। जो कि शक्तियों की सूची: स्थापना संबंधी (अराज.) के मद संख्या 16 का उल्लंघन है । शक्तियों की सूची के अनुसार इतर रेलवे में कर्मचारियों की ड्यूटी बुकिंग के लिए कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी के अधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं । इससे यह पता चलता है कि फील्ड यूनिटों में इस प्रावधान की जानकारी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को नहीं है।

संबंधित जाँच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासकीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही शक्तियों की सूची (SOP) की प्रति फील्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराने के लिए मंडलों को निर्देश दिया गया है।

1. पार्टी कोचों के जोड़ने/काटने में अनियमितता

-श्री के.एन. सहाय
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/याता.

पार्टी कोचों के जोड़ने/काटने से संबंधित एक परिवाद के अंवेषण के दौरान यह पाया गया कि हाजीपुर मुख्यालय के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए मूल कार्यक्रम में बिना मुख्यालय के अनुमति के एक अधिकारी का मौखिक आदेश लिखते हुए स्टेशन के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया। स्थानीय स्तर पर कोचों के प्रस्थान कार्यक्रम में मुख्यालय के अनुमति के बिना परिवर्तन की प्रवृत्ति गलत इरादों के कारण हो सकती है। यह भी पाया गया कि पार्टी कोचों के जोड़ने एवं काटने के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु न तो मुख्यालय स्तर पर और न ही मंडलीय स्तर पर कोई तंत्र प्रभावी है । स्टेशन, मंडल एवं मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण का अभाव होने के कारण पार्टी कोचों के

- Sri Amul Kumar Singh
CVI/A

5. Irregularities in out station/Foreign Rail Booking of Staff on Duty.

A complaint under Public Interest Disclosure Resolution **(PIDPI)** was received in this office and the same was investigated. Investigation of allegation regarding irregularities in outstation/foreign rail booking of staffs revealed that in one of the division, approval for the booking of staff on duty to foreign railway has been taken by AEN instead of Sr. DEN which is violation of item no. 16 of SOP Establishment matter (NG). As per SOP JAG office is competent to book staff on duty to foreign railway. It appears that this provision is not known to all officials/officers in field units.

The investigation report has been sent to Railway Board. Administrative action against staff has been recommended and all divisions have been advised to circulate and provide copy of SOP to all field offices.

1. Irregularities in attachment/detachment of party coaches:

- K.N. Sahay
CVI/T

During investigation of a complaint case regarding attachment /detachment of party coaches it was detected that the scheduled programme as relayed by competent authority of HQ/HJP was changed at a station citing verbal orders of officers without taking due permission from HQ/HJP. The practice of change in departure programme of coaches at local level from competent authority of HQ may be due to malafide intention. It was also observed that there is no mechanism for attachment/detachment of party coaches of various hierarchy either at divisional or HQ level. Due to lack of supervision at the station, the division and HQ level the practice of

परिचालन में अनाधिकृत परिवर्तन उक्त स्टेशन पर काफी दिनों से एक अधिकारी के मौखिक आदेश पर हो रहा था जिसका न कोई उचित आधार था और न ही वह रिकॉर्ड में था। परिवाद अभी भी अंवेषण के क्रम में है। इसी बीच एक अधिकारी के सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पार्ट जांच रपट प्रस्तुत की गई है।

उक्त जांच रपट के आधार पर परिचालन विभाग द्वारा एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है। मामला अभी भी अन्वेषण के क्रम में है।

2. टिकट परीक्षक कर्मचारी द्वारा अवैध ढंग से रुपए की मांग

स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डिकॉय जांच की गई जहां टिकट परीक्षक कर्मचारी द्वारा 150/- रुपए की अवैध मांग की गई तथा उसे स्वीकार भी किया गया अर्थात् दो मेल एक्सप्रेस साधारण टिकट को शयनयान श्रेणी में परिवर्तन करने हेतु उसके द्वारा प्रति टिकट 75/- रुपए की दर से अतिरिक्त राशि छद्म यात्री से लिया गया। उपरोक्त टिकटों का मूल किराया 150 रु. था जबकि उक्त कर्मचारी के द्वारा 300 रु. की मांग की गई तथा उसके द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया।

संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और बाद में अनियमितता के लिए बड़ी शास्ति के तहत कार्रवाई की गई है ।

3. आरक्षण कार्यालय में अनियमितता

एक परिवाद के अंवेषण के क्रम में यह पाया गया कि एक आरक्षण कार्यालय के कार्यरत आरक्षण लिपिक के द्वारा यात्रा सह आरक्षण टिकट को बिना यात्रा टिकट लिए उक्त यात्रा सह आरक्षण टिकट को विशेष रद्दीकरण के द्वारा रद्द कर दिया गया। उपरोक्त यात्रा सह आरक्षण टिकट का कुल मूल्य 4164/- रु. था । कार्यरत आरक्षण लिपिक के द्वारा न तो वापस किए गए रकम को यात्री को सौंपा गया और न ही उसे सरकारी खाते में जमा किया गया।

आरक्षण लिपिक के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप रेल राजस्व का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग किया गया तथा साथ ही आम जनता के बीच रेल छवि भी धूमिल हुई । उक्त अनियमितता के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी शास्ति के तहत कार्रवाई की गई है ।

unauthorized changes in party coach movement at such station has been continuing for long time citing verbal order which do not have and authentic basis and are not proved in record. The investigation on complaint is still in process. in the meantime in view of retirement of an officer a part investigation report has been submitted in this case.

A system improvement letter has been issued by the operating department. The case is under investigation.

2. Illegal demand of money by the ticket checking staff:

On the basis of source information a decoy check was conducted in a M/E train wherein a ticket checking staff demanded and accepted illegal money of Rs. 150/- i.e Rs 75/- excess per ticket for conversion of two second M/E ordinary ticket in to sleeper class ticket from the decoy passenger.

The actual fare of these ticket was Rs.150/- for which the staff demanded and accepted Rs 300/- . The concerned staff was placed under suspension with immediate effect and subsequently has been taken up under major penalty for the irregularity.

3. Irregularities in PRS:

During investigation of a complaint case it was detected that the on duty reservation clerk of PRS counter at a station special cancelled three JCRTs without obtaining the original JCRTs. The value of the abovementioned JCRT was Rs 4164/-. The on duty reservation clerk neither handed over the refund amount to the concerned passenger nor did he deposit the same in sundry/ Govt. cash. The above act of on duty reservation clerk resulted both as pocketing the railway revenue for personal gain and diminished the image of railway in public.

The concerned staff has been taken up under major penalty for the irregularity.

महत्वपूर्ण
प्रणाली सुधार पत्र

Important
System Improvement Letters

सुप्रप सं. 25/2012

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

संख्या:- ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक: 10.09.2012

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:- एच 3ए और एच 3बी इलेक्ट्रॉड से प्वाइंट्स और क्रॉसिंग को दुरुस्त करना/नया रूप दिया जाना।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/वी-3/ईसी/इंजी./7-कम्प्लेन दिनांक 22.05.12

1. प्वाइंट्स और क्रॉसिंग तथा पहिये से जले हुए रेल की नवीकरण से संबंधित एक परिवाद की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि एच 3ए और एच 3बी वर्ग के इलेक्ट्रोड्स कार्य निविदा के द्वारा खरीदे गए जबकि ये दोनों इलेक्ट्रोड स्टॉक मदें हैं। एच 3बी वर्ग के इलेक्ट्रोड से प्वाइंट और क्रासिंग के नवीकरण से संबंधित रेलवे बोर्ड ने भी पत्र सं. ट्रैक/21/2004/0110/7/2 दिनांक 06.09.2005 जारी किया है।

2. जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि रेल व्हील बर्नस, वेल्ड कपिंग तथा स्केब्बड् रेल को एच 3बी वर्ग के एलेक्ट्रोड द्वारा हटाया गया जबकि यह कार्य आरडीएसओ के द्वारा अनुमोदित स्रोतों से आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित माइक्रो लो स्प्रे पाउडर तकनीक के द्वारा किया जाना चाहिए था।

3. मुख्य सतर्कता आयुक्त ने मामले के संबंध में सलाह देने के क्रम में उपरोक्त दोनों मामलों में उपयुक्त निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने की सलाह दी है।

अत: आपसे आग्रह है कि एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र सर्व संबंधितों और मंडलों को जारी किया जाए एवं जारी निर्देशों की एक प्रति मुख्य सतर्कता आयुक्त के सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ इस कार्यालय को भी प्रेषित करें।

(बी.पी. गुप्ता)
वरि. उप महाप्रबंधक

SIL No. 25/2012

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement September 10, 2012.

Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub:- Reconditioning of Points and Crossing with H3A and H3B Electrodes.

Ref: Railway Board's letter No. 2011/V3/EC/Engg/7-Comp dated 22.05.12.

1. In course of investigation of complaint pertaining to reconditioning of points and crossings and wheel burnt rails, it was observed that H3A class and H3B class of electrodes procured through works contract though these items are stock item. On the issue of reconditioning of points and crossing with H3B class of Electrodes, Railway Board has also issued letter No. Track/21/2004/0110/7/2 dated 06.09.2005.

2. Also removal of rail wheel burns, weld cupping and scabbed rail has been done with H3B class of Electrodes, however it should be done by Micro Flow Spray Powder Techniques as approved by RDSO and through the agencies approved by RDSO.

3. CVC, while communicating its advise of the case has also advised to issue suitable instructions/guidelines on the above two issues.

It is, therefore, requested that a system improvement letter be issued to divisions and all concerned and a copy of instruction issued may be sent to this office for information and compliance to CVC.

(B.P.Gupta)
SDGM

सुप्रप सं.– 27/2012

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 20.09.2012

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय:– एसी कोच की चादर की धुलाई के लिए मानक निविदा प्रपत्र।

दिनांक 27.07.2012 को 12397 महाबोधि एक्सप्रेस में चादर की धुलाई के पहलू पर एक निवारक जांच के दौरान 08 चादरों में तेल का दाग पाया गया जिसे साधारण धुलाई से साफ नहीं किया जा सकता था और उन्हें ऑक्सैलिक एसिड एवं एसीटोन से साफ करने की आवश्यकता थी। मुगलसराय मंडल में संबंधित निविदा प्रपत्र में तेल के दाग हटाने के लिए उपर्लिखित रसायनों के प्रयोग का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि धनबाद मंडल के निविदा प्रपत्र में सभी तरह के दाग हटाने के लिए ऑक्सेलिक एसीड और एसीटोन के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है।

चूंकि सभी मंडल चादर धुलाई के लिए निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि मुख्यालय के द्वारा अनुमोदित एक मानक निविदा प्रपत्र पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को परिपत्रित किया जाए।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर से अनुरोध है कि उक्त सलाह पर आवश्यक कार्रवाई करें।

इस संबंध में कृत कार्रवाई से शीघ्रताशीघ्र अवगत कराया जाए।

(बी.पी. गुप्ता)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

SIL No. 27/12

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/VIG/System Improvement/50 Date: 20.09.2012

Chief Mechanical Engineer
East Central Railway,
Hajipur

Sub:- Standard tender document for washing of Linen of AC coaches.

In one of the Preventive Check on the aspect of cleanliness of linen in train no. 12397 UP (Mahabodhi Exp) on 27.07.12, it was found that out of 8 nos. of bedsheets, 3 nos bedsheets were having oil stain which can not be removed in ordinary washing and required to be washed with Oxalic Acid and Acetone. The concerned tender document of MGS division however does not have provision of use of above chemicals for removing the stain. It has been noted that the tender document of DHN division has provision of removing all type of stains with Oxalic Acid and Acetone .

Since different divisions are calling tender for linen washing, it is suggested that a standard tender document for linen washing duly approved by HQ be circulated to all the divisions of E.C. Rly.

CME may kindly consider the above suggestion for necessary action.

Action taken may kindly be advised at earliest.

(B.P. Gupta)
Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक सतर्कता कार्यालय/हाजीपुर

संख्या:- ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक: 14.12.2012

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय:- एक ही शहर और उसके आस-पास एक से अधिक ओईएम के प्राधिकृत डीलर होने की स्थिति में - वार्षिक अनुरक्षण करार।

सतर्कता जाँच के एक मामले में, महाप्रबंधक/पूमरे ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

सार्वजनिक क्रय प्रणाली में, निविदा आमंत्रित करने के लिए खुली और पारदर्शी प्रणाली का होना वांछनीय है। यद्यपि, विशिष्ट कार्य जैसे डीजी सेट की मरम्मत, स्पेयर पार्टस की गुणवत्ता, अनुरक्षण करने की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस प्रकार ओईएम अथवा ओईएम के प्राधिकृत डीलर से निविदा आमंत्रित करना वांछनीय होगा।

उस स्थिति में किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जब उस शहर में अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक से अधिक प्राधिकृत डीलर है तब ओईएम के इन प्राधिकृत डीलरों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित किए जाने से प्रतियोगिता सुनिश्चित होगी और प्राप्त दरें बाजार निर्धारित होंगी। इस प्रकार, ओईएम के प्राधिकृत डीलरों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित करने की प्रणाली का अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि उस शहर अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक मात्र प्राधिकृत डीलर है तब एकल निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में, जब उस शहर में अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक से अधिक प्राधिकृत डीलर उपलब्ध हो तब भी यदि कार्यकारी विभाग ओईएम के एक प्राधिकृत डीलर से एकल निविदा आमंत्रित करना चाहता है तो निविदा स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा विशेष सीमित निविदा के बजाए एकल निविदा आमंत्रित किए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि निविदा स्वीकृति प्राधिकारी एस.ए.जी. से नीचे के स्तर का हो तब एकल निविदा आमंत्रित किए जाने के पहले एस.ए.जी अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड/एफएएंडसीएओ के परामर्श से एस.ओ.पी पार्ट 'ए' मद-59 में आवश्यक शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट या अतिरिक्त नोट का समावेश किया जाय।

(बी.पी. गुप्ता)
वरि. उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि: उप महाप्रबंधक सा:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/VIG/System Improvement/50 Date: 14.12.2012

Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub:- Annual Maintenance Contract - Cases when more than one authorized dealer of OEM in same city/vicinity.

In case of one of the Vigilance Investigation, General Manager/ECR has observed as under:-

" In the public procurement system, an open and transparent system of calling tender is most desirable. However in a specialized work like maintenance of DG sets, quality of spare parts, prompt and quality service to maintain can also not be overlooked and thus it will be desirable to call tender from the OEM or authorized dealer of OEM.

In case an OEM has more than one authorized dealer for the specialized work in the same city or in very close vicinity then calling of special limited tender from these authorized dealer of OEM will ensure competition and rates received will be market determined. Thus the system of calling of special limited tender from the authorized dealer of OEM to be followed. In case there is only one authorized dealer of OEM in the same city or close vicinity then single tender can be called.

In special circumstances, when more than one authorized dealer of OEM are available in the same city or close vicinity and even then the executive department wish to call single tender from one authorized dealer of OEM, then the tender accepting authority must record the reason for calling single tender and not special limited tender. In case the tender accepting authority is below SAG level then the approval of SAG officer shall be taken before calling of single tender."

It is requested that suitable corrigendum/addendum/ incorporation of additional note in SOP Pt'A' item 59 may be done in consultation with Railway Board/FA&CAO.

(B.P. Gupta)
Sr. Dy. General Manager

Copy: DGM(G) : for information & necessary action.

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दि. 18. 12.2012

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर ।

विषय:- भूतपूर्व रेल कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में विलंब और कल्याण निरीक्षकों की भूमिका।

मंडल इकाईयों में किये गये निवारक जाँच के दौरान, यह प्रेक्षित किया गया कि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि और मृत कर्मचारी के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बीच एक लम्बा समयान्तराल है। वैसे कुछ मामलों में यह विलंब 02 वर्ष से अधिक का था। संवीक्षा के दौरान, यह प्रेक्षित किया गया कि विलंब मुख्यत: आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विलंब के कारण और कल्याण निरीक्षकों द्वारा इन दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब के कारण भी हुआ था। अधिकांश मामलों में, यह प्रेक्षित किया गया है कि आश्रित उनके द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजों से अवगत नहीं हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि सी.जी. नियुक्ति एक कल्याणकारी गतिविधि है और इसलिए रेलवे बोर्ड ने समय-समय पर सी.जी. मामलों के शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया है । आरबीई सं. 101/1994 में निहित अनुदेश के तहत जारी स्थानीय अनुदेश सं. इसीआर/एचआरडी/रेक्रुट/सीजी/पॉलिसी दिनांक 24.09.04 में सी.जी नियुक्ति को शीघ्र पूरा करने में कल्याण निरीक्षकों की अनुक्रियात्मक भूमिका पर विचार किया गया है। कल्याण निरीक्षकों से आशा की जाती है कि सी.जी. नियुक्ति और स्थापना मामलों से संबंधित पेपर कार्य पूरा करने में और उनसे आवेदन प्राप्त करने में भी परिवार की सहायता करें। आर.बी.ई सं. 101/1994 के अनुसार कल्याण शाखा से मृतक कर्मचारी के आश्रितों द्वारा आवेदन के संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की एक जाँच सूची सहित प्रक्रियाओं की रूप-रेखा देते हुए

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/VIG/System Improvement Letter/50 Dated 18.12.12

CPO
E.C Railway,
Hajipur

Sub:- Delay in compassionate ground appointment of the dependents of Ex. Rly. Employee and role of Welfare Inspectors.

During preventive checks conducted in divisional units, it has been observed that there is a large time-gap between date of death of the employee and date of finalisation of compassionate appointment of the dependents of the deceased employee. In some of the cases, this delay was more than 02 years. During scrutiny, it was observed that the delay was mainly because of the delay in submission of the required documents by the applicants and also due to delay in completing the verification process of these documents by the welfare inspector. In most of the cases, it is observed that dependents are not aware of the documents to be submitted by them.

In this regard, it is mentioned that CG appointment is a welfare activity and hence Railway Board from time to time has emphasised the need for early finalisation of C.G cases. Instructions contained in RBENo- 101/1994 and local instructions issued vide letter no- ECR/HRD/Rectt/CG/Policy dtd 24.09.04 envisage a proactive role by welfare inspector in early finalisation of C.G appointment. Welfare inspectors are supposed to assist family in completing paper work related to C.G appointment and settlement matters and also to obtain application from them. As per RBE No- 101/1994, welfare wing is also expected to make available a copy of brochure giving an outline of the procedure including a check-list of all the documents to be attached with the application by the dependent of the deceased

विवरणिका की एक प्रति उपलब्ध कराये जाने की भी आशा की जाती है। डब्ल्यू आई द्वारा ऐसी अनुक्रियाशील कार्रवाई से सी.जी. नियुक्तियों को पूरा करने में लगे समय में कमी आने की संभावना है और रेलवे कर्मचारी के आश्रितों की परेशानी और शिकायतों में कमी आयेगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर रेलवे बोर्ड के अनुदेश की पुनरावृत्ति करते हुए प्रत्येक चरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए अनुदेश जारी करने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त के अनुसार कल्याण निरीक्षकों की विस्तृत ड्यूटी सूची और जाँच सूची भी बना ली जाए और यथाशीघ्र सर्व संबंधितों को परिपत्रित किये जायें।

(बी .पी. गुप्ता)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

काम करने से पूर्व सोचना बुद्धिमता है।
काम करते समय सोचना सतर्कता है।
काम कर चुकने पर सोचना मूर्खता है।

–स्वामी शिवानन्द सरस्वती

employee. Such proactive action by W.I's is likely to reduce the time taken in finalisation of CG appointments and reduce complaints and harassment of dependents of Railway employee.

In view of the above, it is advised to issue instructions laying down the time schedule for each stage reiterating Railway Board's instruction on the subject. A comprehensive duty list of welfare inspectors and check-list as mentioned above, may also be finalised and circulated to all concerned at the earliest.

(B.P.Gupta)
Senior Dy. General Manager
E. C. Railway, Hajipur

Daily practice of gratitude is one of the conduits by which your wealth will come to you.

-Wallac Wattler

The glue that holds all relationship together - including the relationship between the leader and the led is trust, and is based on integrity.

- Brian Tracy

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 28.12.2012

मु.वा.प्र.
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : अस्थायी तैनाती से बचने के लिए समस्तीपुर मंडल में ईसीआरसी के पदस्थापना की समीक्षा।

ईसीआरसी द्वारा टीए के संबंध में एक पीआईडीपीआई परिवाद के अनुसंधान रपट पर महाप्रबंधक/पूमरे ने अपनी अनुशंसा लिखते समय, निम्नानुसार प्रेक्षण दिया है :-

'मुवाप्र कर्मचारियों की अस्थायी तैनाती को कम करने की दृष्टि से समस्तीपुर मंडल ईसीआरसी के पदस्थापना की समीक्षा करें। इससे भुगतान की जा रही यात्रा भत्ता की राशि में कमी आएगी। दि. 31.01.2013 तक यह समीक्षा पूरी की जानी है ।'

अनुरोध है कि शीघ्र कार्रवाई की जाए और कर्मचारी की अस्थायी तैनाती को कम करने की दृष्टि से महाप्रबंधक द्वारा यथा अनुदेशित दि. 31.01.2013 तक समीक्षा पूरी कर ली जाए।

कृपया की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को शीघ्र दी जाए ।

(बी.पी.गुप्ता)
वरि.उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :-

1. मरेप्र/समस्तीपुर - को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. फाइल सं. ईसीआर/विज/वी-2/गज/एसपीजे/08-12/41 पीआईडीआर

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 December 28, 2012.

CCM,
E.C.Railway,
Hajipur.

Sub:- Review of posting of ECRCs in SPJ division to avoid temporary deployments.

General Manager/ECR while recording his recommendation on the Investigation Report of a PIDPI complaint regarding TA by ECRCs, has observed as under:

"CCM to review the posting of ECRC in Samastipur division with a view to minimise temporary deployment of the staff. This will bring down the Travelling Allowance amount being paid. The review to be completed by 31.01.2013."

It is requested that the action be taken immediately and review be completed by 31.01.2013 as directed by General Manager with a view to minimise temporary deployment of the staff.

The action taken may kindly be advised to this office at earliest.

(B.P.Gupta)
SDGM

Copy to:-

1. DRM/SPJ- for information and necessary action please.
2. File No. ECR/Vig./V-2/Gaz/SPJ/08-12/41-PIDR

सुप्रप सं. 01/2013

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 04 जनवरी, 2013

मुचिनि
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय: चिकित्सा विभाग द्वारा स्टेशनों पर स्वच्छता कार्य हेतु दस्तावेज/अभिलेख का अनुरक्षण।

पूमरे द्वारा पू.त. रेल की सतर्कता लेखा-परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्वच्छता के लिए पूरी स्टेशन पर दैनिक स्वच्छता और जारी की गयी सामग्रियों के अभिलेख के अनुरीक्षण का एक अच्छा अभ्यास प्रचलन में है और यह उच्च प्राधिकारियों द्वारा जाँच हेतु सहज है।

उपयुक्त अनुदेश की एक प्रति पूमरे में भी इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पहले ही आपको दे दी गई है।

दिनांक 23.12.12 को गया स्टेशन पर वरि.उपमहाप्रबंधक द्वारा वरि. मं. चि.अ. के साथ किए गए जाँच के दौरान यह नोट किया गया कि दैनिक आधार पर निष्पादित मदों के अभिलेख के लिए प्रयोग किए गए पत्रक पर किसी चिकित्सा अधिकारी का आद्याक्षर नहीं है अथवा पत्रक के पृष्ठ मशीन संख्यांकित नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाद में किसी भी समय पत्रकों को नहीं बदला गया है, इसके पृष्ठ मशीन संख्यांकित करने चाहिए और चिकित्सा अधिकारी द्वारा पृष्ठ का शीर्ष आद्याक्षरित होना चाहिए।

इस संबंध में जारी किए गए उपयुक्त अनुदेश की सूचना कृपया इस कार्यालय को दी जाए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

SIL No. 01/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 January 04, 2013.

CMD,
E.C.Railway,
Hajipur.

Sub:- Maintenance of document/record keeping for the sanitation works at stations by Medical deptt.

During Vigilance Audit of E.Co.Railway by ECR, it was noted that the record being maintained for sanitation at PURI station for day to day sanitation and materials issued appear to be good practices and are amenable to checks by higher authorities.

A copy of the same has already been handed over to you for suitable instruction and examine implementation on ECR also.

It was noted during the check with Sr.DMO by SDGM at Gaya station on 23.12.12, that the sheet being used for the recording of items executed on day to day basis does not have top initial of any Medical Officer or sheet is not Machine Numbered. To ensure that sheets are not changed subsequently at any point of time, the same should be Machine Numbered and top initialed by the Medical Officer.

Suitable instruction issued in this regard may kindly be advised to this office.

(Mahesh Kumar)
Dy.CVO(S)
For GM(Vig.)

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दि. 08. 01.2013

विसमुलेधि
पूमरे/हाजीपुर।

विषय:- सरकारी खाता में रेलवे प्राप्तियों के प्रेषण में विलंब।

संदर्भ:- आपका पत्र सं. ईसीआर/एकाउंट/बीकेएस/आरआईबी/कोटेस/भी-2 दिनांक 18/12/2012.

बैंक द्वारा रेलवे के खाता में रेलवे अर्जन को क्रेडिट करने में विलंब की स्थिति पर मुख्यालय/हाजीपुर के बुक्स/आरआईबी सेक्शन में एक निवारक जाँच किया गया। यह पाया गया है कि स्टेशन अपनी आमदनी केंद्रीकृत बैंक (डिपोजिट एकाउंट वाले) को दूसरे दिन ही प्रेषित करते आ रहे हैं। जब कि स्थानीय बैंक दो सप्ताह/एक माह के लेन-देन/रकम को एकत्रित कर रेल प्राप्तियों को काफी समय बीतने के बाद एकल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एफ.पी.बी. को भेज रहा है। रेलवे खाते में उसके निपटान में छह माह तक विलंब पाया गया है, जैसे-

1. पंजाब नेशनल बैंक/रक्सौल ने एफ.पी.बी. को ₹ 2,57,19,876/- का एक एकल डिमांड ड्राफ्ट सं. 08/09 के माध्यम से 31.05.09 से 30.06.09 तक से संबंधित एक माह के लेन-देन की प्राप्तियाँ भेजी हैं और उसका निपटान दि. 31.12.09 को अर्थात् छह माह बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी खाते में किया गया है।

2. इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक/कंकड़बाग, पटना ने एफ.पी.बी. को रु. 4,12,11,116/- का एक एकल डिमांड ड्राफ्ट नं. 10/11 के माध्यम से 01.06.11 से 16.06.11 तक से संबंधित दो सप्ताह के लेन-देन की प्राप्तियाँ भेजी हैं और उसका निपटान दि. 25.08.11 को अर्थात् दो माह पश्चात् रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी खाते में किया गया है ।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement Letter/50 Dated 08/01/2013

FA&CAO
ECR/HJP

Sub:- Delay in Remittance of Railway Receipts into Government Account.

Ref:- Your letter No.ECR/A/cs/BKS/RIB/Corres/P-I dt.18/12/2012

A preventive check was conducted in Books/RIB section of HQ/HJP on the aspect of delay in crediting Railway Earnings into Railway's Account by Deposit Banks. It has been found that Stations have been remitting its earning into Local Bank (having deposit account) on the very next day. Whereas Local Bank is remitting such Railway Receipts by clubbing the transactions/amount of two weeks /one month and sending it to the Focal Point Branch through a single Demand Draft after considerable lapse of time. Delays up to six months have been found in settlement of the same in Railway Account. e.g.

I. PNB/Raxaul has sent the receipts of one month transactions pertaining to 31.05.09 to 30.6.09 through a single D.D.no.08/09 for Rs.2,57,19,876/- to the FPB and settlement of the same is done in Govt.Account through RBI on 31.12.09 i.e. after six months.

II. Similarly, PNB/Kankarbagh, Patna has sent the receipts of two weeks transactions pertaining to 1.6.11 to 16.6.11 through a single D.D.no.10/11 for Rs.4,12,11,116/- to the FPB and settlement of the same is done in Govt.Account through RBI on 25.8.11 i.e. after two months.

इस संबंध में, यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के विलंब के लिए अबतक बैंकों पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया गया है। केवल दो मामलों में विलंब के लिए लगभग रु. 14 लाख तक का दंडात्मक ब्याज आता है। इसके अलावा, चालानों और बैंक स्क्रॉल के चार वर्ष से अधिक का निपटान बकाया देखा गया है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2005/एसी/II/9/11 दि. 20.02.2007 में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका।

अतएव, उपर्युक्त को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि डिपोजिट बैंकों द्वारा किये गए सभी प्रेषणों के यथासमय पुनरीक्षण/निपटान संबंधी मामले को देखें और इस प्रकार के विलंब के लिए समयोचित दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

इसे वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

(अभिषेक कुमार)
उपमुसताधि (लेखा)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

किताब और मित्र कम परन्तु अच्छे होने चाहिए।

❖

सफल वही होता है जिसका काम
उसे निरंतर आनंद देता है।

❖

अवसर बुद्धिमान के पक्ष में लड़ता है।

In this regard, it has also been observed that no Penal Interest has been levied on banks so far for such delay. Penal Interest comes to the tune of Rs 14 lakh(approx.) for delay in these two cases only. Further, the arrear of more than four years of reconciliation of challans and Bank Scrolls has been observed as a result of which that instructions contained in Railway Bd's letter No. 2005/ACII/9/11 dt.20.2.2007 could not be followed.

Hence, in view of the above, you are requested to look into the matter for timely review/reconciliation of all the remittances made by the deposit banks and take necessary action for levying the Penal Interest for such delay well in time.

This has approval of SDGM.

(Abhishek Kumar)
Dy.Chief Vigilance Office(A)
For General Manager(Vig.)

Integrity is not a conditional word. It doesn't blow in the wind or change with the weather. It is your inner image of yourself, and if you look in there and see a man who won't cheat, then you know he never will.

सुप्रप सं. 03/2013

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 10 जनवरी, 2013

मंडल रेल प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर
मुख्य कारखाना प्रबंधक, समस्तीपुर एवं पीडी/मुगलसराय

विषय: सतर्कता संगठन को स्क्रैप की सुपुर्दगी की सूचना तथा अभिलेखों का रख-रखाव।

एक सतर्कता जाँच के दौरान, मंडल के एक इकाई द्वारा रद्दी माल के परिदान की समय से सूचना देने के संबंध में प्रक्रियागत चूक पाई गई। यह पाया गया कि स्क्रैप के परिदान की सूचना परिदान के आरंभ की तिथि/परिदान के आरंभ होने की तिथि के पश्चात् सतर्कता संगठन को भेजी गयी थी।

स्क्रैप परिदान संबंधी केस फाईल पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं थी। किसी खास लॉट की सुपुर्दगी के समापन हेतु लॉट रजिस्टर में कुछ भी उल्लेख (यथा सुपुर्दगी पूरी कर ली गयी, आदि) नहीं था, न ही एस आर ओ को उस लॉट के लिए विरूपित किया गया था जिसका परिदान पूरा कर लिया गया था।

इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करते हुए सर्वसंबंधित को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएँ।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

SIL No. 03/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50/ Dated:- 10.01.2013

Divisional Railway Manager
East Central Railway
DHN, DNR, MGS, SEE & SPJ
Chief Workshop Manager- SPJ & PD/MGS

Sub:- Intimation of delivery of scrap to vigilance and maintenance of records.

During investigation of a Vigilance case, procedural lapse in timely intimation in terms of delivery of scrap to vigilance in a divisional unit was observed. It was found that intimation for delivery of scrap had been sent to vigilance organization on the date of start of delivery/ after the date of start of delivery.

There was no page numbering on the scrap delivery case file. As for completion of delivery of a particular lot, nothing was mentioned (like delivery completed) in the lot register neither the SRO was defaced for the lot for which delivery was completed.

Necessary instruction in this regard may be issued to all concerned with intimation to this office.

(Mahesh Kumar)
Dy. Chief Vigilance officer(S)
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 05 फरवरी, 2013

मुख्य विद्युत अभियंता
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय: स्वीकृत कार्य हेतु कर्षण वितरण भंडार का लेखाकरण

भारतीय रेल एसीटीएम के पारा 10815(2) के अनुसार स्वीकृत कार्यों के लिए प्रत्येक कार्य हेतु एक मिलान पंजी (टैली बुक) मेन्टेन करना है।

एक परिवाद के मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि मंविअ/कर्षण वितरण/मुगलसराय ने अपने पत्र सं. का/VI/भांनदर/जेनरल दिनांक 16.03.11 को जारी कर आदेश दिया है कि कर्षण वितरण के लिए भंडार विभाग तथा ठेका कार्य हेतु आपूर्तित मद का भंडारण व. अनुभाग अभियंता/भं. एवं. का. द्वारा होगा तथा इन मदों के निर्गमकर्त्ता व. अनुभाग अभियंता/भं. एवं का./मुगलसराय होंगे। वर्मंविअ/कवि/मुगलसराय के पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्राप्त हुई सामग्री का लेखाकरण कैसे होगा?

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृत कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री का प्रत्येक कार्य अनुरुप लेखाकरण होना चाहिए। इसकी आवश्यकता समापन रपट/समापन स्टेटमेंट बनाने के लिए भी होगी।

संबंद्ध वित्त के परामर्श से इस दिशा में जारी किए गए विस्तृत अनुदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए।

(बी.पी. गुप्ता)
व.उप.महाप्रबंधक

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 February 5, 2013.

CEE
E.C.Railway,
Hajipur.

Sub:- Accountal of TRD/Stores for the sanctioned works.

As per Indian Railway ACTM Para 10815(2) a tally book for the sanction works are to be maintained work wise (Copy enclosed).

While investigating a complain case it has been noted that Sr. DEE/TRD/MGS has issued a letter vide his No. KA-VI/Bhandar/Genl. Dated 16.03.11 that the storage of materials for all the TRD items procured through stores as well as contractual supply items will be stored under SSE/S&W and the material issuing authority will be SSE/S&W/MGS(Copy enclosed). How the accountal of materials against works will be accounted for work wise is not clear from this letter of Sr.DEE/TRD/MGS.

It is to be ensured that the accountal of material for the sanctioned work be done work wise. This will also be required to draw the completion Report/Completion statements.

A copy of the detailed instruction issued in consultation with associate finance may be sent to this office.

DA : As stated above.

(B.P.Gupta)
SDGM

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक सतर्कता
कार्यालय/हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दि. 08. 02.2013

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय:- विभागीय पदोन्नति के समय 3 आर.पी. (यूपी) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के संबंध में आर.पी.एफ. (रेसुब) से क्लीयरेंस (अनुमति)।

रेलवे बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, किसी आपराधिक मामले के अनिर्णय के दौरान किसी रेल कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जाना है। एक मामले में जाँच से यह उद्घाटित हुआ है कि किसी कर्मचारी को ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नत किया गया जबकि 3 आर.पी. (यूपी) अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक मामला उसके विरुद्ध लंबित था। इस चयन में डीएआर एवं एसपीइ/सतर्कता क्लीयरेंस लिया गया और उपलब्ध स्थिति के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया गया। यद्यपि बाद में पता चला कि कर्मचारी को रेसुब के 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत माननीय कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया। चयन समिति को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। जब मामला ध्यान में आया तो कर्मचारी को ग्रुप 'सी' में पदावनत कर दिया गया। इस केस के उपरांत महाप्रबंधक ने ग्रुप 'बी' चयन हेतु रेसुब से 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के संबंध में क्लीयरेंस लेने का एक निर्देश दिया । तद्नुसार, ग्रुप 'बी' चयन में इस प्रकार का क्लीयरेंस लिया जा रहा है। बहरहाल, ग्रुप 'सी' के अंतर्गत और ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में अन्य पदोन्नतियों में ऐसा कोई क्लीयरेंस नहीं लिया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के अंतर्गत ऐसे मामले आपराधिक प्रवृति के होते हैं। अतएव, 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत किसी लंबित आपराधिक मामला के साथ किसी रेलवे कर्मचारी के पदोन्नत होने की संभावना से बचने के लिए यह वांछनीय है कि सभी विभागीय पदोन्नति में 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत मामलों के संबंध में रेसुब से क्लीयरेंस लिया जाये। अत: अनुरोध है कि इस संबंध में सर्वसंबंधित को आवश्यक अनुदेश जारी किया जाये।

इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। यह वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित है ।

(अभिषेक कुमार)
उपमुसताधि (लेखा)
कृते महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement letter/50 Dated- 08/02/2013

Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur.

Sub:- Clearance from RPF with regard to Cases under 3 R.P. (U.P) Act at the time of departmental promotions.

As per extent instructions of Railway Board, a Railway employee is not to be promoted during pendency of a criminal case. Investigation of a case revealed that a employee was promoted from Gr. 'C' to Gr. 'B' while a criminal case under 3 R.P. (U.P) Act was pending against him. In this selection DAR and SPE/Vig clearance was taken and based on the available position selection was finalized. However, later it came to notice that the employee was convicted by Hon'ble court under 3 R.P. (U.P) Act of RPF. This fact was not known to the selection committee. When the matter came to notice the employee was reverted to Gr. 'C'. After this case, General Manager gave an instruction to take clearance with regard to 3 R.P. (U.P) Act from RPF for Gr. 'B' selections. Accordingly, such clearance is being taken in Group 'B' selections. However, no such clearance is being taken in other promotions within Gr. 'C' and from Gr. 'D' to Gr. 'C'.

It is mentioned that cases under 3 R.P. (U.P) Act are criminal in nature. Hence, in order to ward off possibility of a Railway employee getting promoted with a pending criminal case under 3 R.P. (U.P) Act it is desirable that in all departmental promotions clearance from RPF is taken with regard to cases under 3 R.P. (U.P) Act. Hence, it is requested that necessary instruction may be issued to all concerned in this regard.

Action taken may please be intimated to this office.

This has approval of SDGM.

(Abhishek Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (A)
For General Manager (Vig)

सुप्रप सं. 06/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 26 फरवरी, 2013

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष,
सभी मंडल रेल प्रबंधक,
पूर्व मधय रेल,

विषय:- संवेदनशील पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति।

एक सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि जिस कर्मचारी को किसी सतर्कता संबंधित मामले में दीर्घ दंड दिया जा चुका है उसे पुन: अत्यन्त संवेदनशील पद पर नियुक्त किया गया।

निवेदन है कि जहां तक संभव हो सके उन कर्मचारियों को जिन पर पिछले तीन साल में सतर्कता संबंधित मामलें में दीर्घ दण्डारोपण हुआ हो उन्हें संवेदनशील पदों पर नियुक्त न किया जाए।

इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

(एस.पी.एस. यादव)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

SIL NO. 06/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

East Central Railway
Office of the
General Manager
(Vigilance)
Hajipur-844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated Feb, 2013.

All PHODs/ECR
All DRMs/ECR

Sub: - Posting of officials (Non Gazetted) on a sensitive post.

While investigating a complaint case, it has been observed that the officials who have been punished under major penalty in a vigilance case are being again posted on a very sensitive post.

It is requested that as far as possible officials (Non Gazetted) punished with major penalty in a vigilance case in the last three years should not be posted on a highly sensitive post.

A copy of the instruction issued may be sent to this office.

(S.P.S. Yadav)
Dy. CVO(Elect.)
For G.M. (Vig)

सुप्रप सं. 08/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 15 मार्च, 2013

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष,
सभी मंडल रेल प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,

विषय:- हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध करने की शक्ति।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की योजना तथा करार करने की शक्ति रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2006/सीएंडआइएस/शक्तियों का प्रत्यायोजन/36 दिनांक 10.12.2008 द्वारा निर्धारित की गई है और तद्नुसार विविध मामले से संबंधित पूर्व मध्य रेल के एसओपी में (पृ/165) पर विशेष प्रावधान किया गया है।

एक मंडल में सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण करार को सामान्य कार्य की तरह मानकर, कार्य मामले से संबंधित एसओपी के पारा 10ए के अनुसार किया गया जो कि सही नहीं है। इस मामले में करार अवर मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर किया गया जो कि सही नहीं है। इस करार को करने की पूर्ण शक्ति केवल महाप्रबंधक/मंरेप्र एस.ए.जी (स्वतंत्र प्रभार) को दी गई है।

इस तथ्य को विसमुलेधि ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या पूमरे/ए/विसमुलेधि/गोपनीय/04 दिनांक 14.03.2013 के द्वारा सभी मंडलों तथा वरीय मंडल वित्त प्रबंधकों को अवगत कराया है।

अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा इस विषय पर जारी किए गए अनुदेश तथा पूर्व मध्य रेल के विविध मामले से संबंधित एसओपी को सर्व संबंधित की जानकारी में लाया जाए तथा कड़ाई से उसका पालन किया जाए।

(एस.पी.एस. यादव)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

SIL No.-08/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 March 15, 2013.

All PHODs/CHODs,
All DRMs,
E.C.Railway.

Sub :- Power to enter into AMC of Hardware & Software.

The power of planning and awarding AMC of Hardware and Software is governed by Railway Board's letter No. 2006/C&IS/Oth./Delegation of Powers/36 dated 10.12.2008 and accordingly the specific provision for the same exists under miscellaneous matter (P/165) of SOP of E.C.Railway.

It has been noted in a vigilance check in one of the division that the AMC of Hardware and Software were treated as ordinary works contract and dealt under SOP of Works matter under 10 (a), which is not correct. In the division, the awarding of contract was approved at ADRM level which is not correct. The full power lies with GM/DRM/SAG(independent charge) only

This has been brought to the notice of divisions and Sr.DFMs by FA&CAO vide his D.O. No. ECR/A/FA&CAO/Conf./04 dated 14.03.2013.

It is requested that the instructions issued by Railway Board on the subject matter as well as in Misc. part of SOP of ECR be brought to notice of all concerned for strict compliance.

(S.P.S.Yadav)
Dy.CVO(Elect.)
For General Manager(Vig.)

सुप्रप सं. 09/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 02 अप्रैल, 2013

विसमुलेधि
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय: उचंत क्रय (परचेज सस्पेंस) का रखरखाव एवं निगरानी।

मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से ऑयल सर्वो आरआर 606 पीएल सं. 80014318 की खरीद से संबंधित निविदा संचिका सं. 11/10/1066 की जाँच के दौरान यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल द्वारा 287 किली सर्वो ऑयल आरआर 606 के लिए ₹ 3,63,22,720 का 100% अग्रिम भुगतान फर्म को किया गया। बहरहाल, आज की तिथि तक ₹ 3,42,93,776.00 मूल्य के केवल ₹ 2,85,130.470 लीटर सर्वो ऑयल की आपूर्ति की गयी तथा मेसर्स आईओसी को अग्रिम रुप से किए गए भुगतान में से ₹ 20,28,944.00 फर्म के पास अभी तक बकाया है।

सामग्री की अंतिम आपूर्ति मेसर्स आईओसी के द्वारा अप्रैल 2012 में की गयी और तत्पश्चात न तो पुन: फर्म द्वारा सामग्री की कोई आपूर्ति की गयी और न हीं फर्म से बकाया रकम वसूलने के लिए कोई कार्रवाई की गयी। यह भी नोट किया गया है कि 100% अग्रिम भुगतान वाले क्रय के मामले की निगरानी नहीं की जा रहा है और न ही जैसा कि पैरा 2747 एस में प्रकल्पित है, भंडार शाखा के परामर्श से नियमित रूप से इसे अद्यतन किया जा रहा है जिससे रेलवे धन का नुकसान हो सकता है या धन वापसी/वसूली के होने में विलंब हो सकता है जिसमें वित्तीय हित निहित है।

अनुरोध है कि उचंत क्रय के मामले जिसमें आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान किया गया है, की निगरानी की जाए तथा सर्व संबंधित को उचित अनुदेश जारी किए जाएँ। जारी किए गए अनुदेश की एक प्रति इस कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जाए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

प्रति: भंडार नियंत्रक/पूमरे: को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।

No 09/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the:
General Manager (Vigilance)
Hajipur -844 101
Tele: 06224 - 273284 (BSNL)
025 - 22030 (RLY)
Fax: 06224 - 274133

No. ECR/VIG/System Improvement/50 Date: 02.04.2013

FA&CAO
E.C. Railway,
Hajipur.

Sub:- Maintenance and monitoring of purchase suspense.

While investigating a tender case no. 11/10/1066 for procurement of Oil Servo RR,606 PL No. 80014318 from M/s IOC, it has been noted that 100% advance payment of Rs. 3,63,22,720/- for 287 KL Servo Oil was made by ECR. However till date only 2,85,130.470 Ltrs. of Servo oil has been supplied valuing Rs. 3,42,93,776.00 & Rs. 20,28,944.00 advance paid to M/s IOC still remains outstanding.

The last supply made by M/s IOC was during April'12 & thereafter neither supply has been made further by the firm nor any action has been taken to recover the outstanding amount from the firm. It has also been noted that cases of 100% advance payment of purchase are not being monitored and updated regularly in consultation with Stores Branch as envisaged vide para 2747S which may lead to loss of Railway money with parties or delayed refund/ recovery having financial implications.

It is requested that cases of purchase suspense for which advance payment are made to the suppliers be monitored. Suitable instruction may please be issued to all concerned. A copy of the instruction issued be sent to this office for record.

(Mahesh Kumar)
Dy. CVO/S
for General Manager (Vig.)

Copy to
COS/ECR for information and necessary action.

सुप्रप सं. 10/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र/50 दि. 03. 04.2013

मंडल रेल प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल,
सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय व धनबाद।

विषयः- मंडल में वरिष्ठ अधीनस्थों एवं सहायक अधिकारियों को एस.ओ.पी. स्थापना मामले (अराजपत्रित) की प्रति उपलब्ध करना।

मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा अग्रेषित एक शिकायत मामले की सतर्कता जाँच में यह नोट किया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के इंजीनियरिंग विभाग के लिपिक व निरीक्षक इतर रेलवे में कर्मचारी बुकिंग हेतु एस ओ पी के बारे में अवगत नहीं थे। एस ओ पी- स्थापना मामले के अनुसार इतर रेलवे में कर्मचारी बुकिंग हेतु न्यूनतम कनि. प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, परंतु, सहायक अधिकारियों के अनुमोदन से कर्मचारियों की बुकिंग की जा रही है। यह एस ओ पी में किये गये प्रावधान का उल्लंघन है।

स्पष्टीकरण के दौरान कर्मचारी ने बताया कि वे स्थापना मामलों में एस ओ पी प्रावधान से अवगत नहीं थे।

पूमरे का एस ओ पी पूमरे की बेसवाइट पर उपलब्ध है। यह सलाह दी जाती है कि प्रासंगिक मामले की एक प्रति शाखा अधिकारी द्वारा मुद्रित करा कर क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधीनस्थों को दिये जाएँ ताकि कर्मचारी को शास्तियों तथा प्रावधानों की जानकारी हो सके एवं एस ओ पी का उल्लंघन जानकारी न होने के कारण न हो सके।

कृपया की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(बी .पी. गुप्ता)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

प्रतिः- सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष/पूमरे को सूचनार्थ ।

SIL No 10/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the:
General Manager (Vigilance)
Hajipur -844 101
Tele: 06224 - 272494 (BSNL)
025 - 22006 (RLY)
Fax: 06224 - 274133

No. ECR/VIG/System Improvement/50 Date: 03.04.2013

Divisional Railway Manager,
East Central Railway,
Sonepur, Samastipur, Danapur, Mughalsarai & Dhanbad

Sub:- Providing copy of SOP - Establishment matter (NG) to field Sr. Subordinate & Asstt. Officers on the Division.

In a Vigilance Investigation of a complain case forwarded by CVC, it was noted that clerk & inspectors of Engg. Deptt of field offices were not aware about Schedule of Power for booking of staff to foreign Railway. As per SOP, on Establishment Matter-approval of minimum JAG officer is required for booking of staff to foreign Railway but staff are being booked with approval of Asstt. Officers. This is in violation of SOP provision.

The staff during clarification indicated unawareness of SOP provision of Establishment matters.

The SOP of ECR is available on ECR website. It is advised that a copy of same for relevant matter be printed by branch officer & supplied to field Sr. Subordinates under them so that officials know the provision, power & violation of SOP is eliminated on account of unawareness.

Action taken may please be advised to this office.

(B.P. Gupta)
Sr. Dy. General Manager

Copy to:
All PHODs/CHODs/ECR for information

सुप्रप सं. 11/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक 12 अप्रैल, 2013

सभी मंडल रेल प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल

विषय: मंडलों के आरसीडी में एचएसडी ऑयल की प्राप्ति एवं उसके लेखाकरण के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए जेपीओ का कार्यान्वयन।

मंडल के एक आरसीडी में सतर्कता विभाग द्वारा किए गए जाँच के दौरान एच एस डी तेल की मात्र में भारी कमी पायी गई तथा जाँच के दौरान पाई गई विफलताओं में से एक रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2006/फ्यूल/25/भाग दिनांक 09.03.2010 के द्वारा जारी किए गए रेलवे बोर्ड के संयुक्त प्रक्रिया आदेश के अनुपालन का न होना था। कुछेक मामलों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षी भूमिका की विफलता के कारण जबाबदेही उच्च स्तर पर भी निर्धारित की गई है।

विगत में सतर्कता विभाग के परामर्श पर सभी वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/मंडल पावर इंजीनियर को सीएमपीइ/पूमरे ने भी पत्र सं. ईसीआर/एमईसी/ओपीआर/318 दिनांक 20.12.2011 (प्रति संलग्न) के द्वारा सभी आरसीडी में होनेवाली अनियमितताओं को प्रकाश में लाया था।

अनुरोध है कि एचएसडी ऑयल की प्राप्ति और उसके लेखाकरण के संबंध में रेलवे बोर्ड के संयुक्त प्रक्रिया आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक- यथोक्त

(बी.पी. गुप्ता)
व.उप.महाप्रबंधक

प्रति: मुख्य यांत्रिक इंजी./पूमरे: को सूचनार्थ एवं क्षेत्रीय रेलकर्मियों द्वारा रेलवे बोर्ड के संयुक्त प्रक्रिया आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

SIL No.-11/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 April 12, 2013.

All DRMs,
E.C.Railway.

Sub:- Implementation of JPO issued by Railway Board in regard to receipt and accountal of HSD Oil at RCDs of the divisions.

During the check carried out by Vigilance at one of the RCDs of the division, huge shortage of HSD Oil has been noted and one of the failure noted during check is non implementation of JPO issued by Railway Board circulated vide Railway Board's letter No. 2006/Fuel/25/Pt. dated 09.03.2010 (copy enclosed). In some of the cases the responsibilities have been fixed up at higher level due to failure of inspection and supervisory role.

In past on advice of Vigilance branch, CMPE/ECR had also highlighted the irregularities at RCDs vide his letter No. ECR/MEC/OPR/318 dated 20.12.2011 to all Sr. DME/DME (Power) (copy enclosed).

It is requested to ensure implementation of Railway Board's JPO regarding receipt and accountal of HSD Oil. Inspection of RCDs be carried out by AME/DME/Sr.DMEs in terms of Railway Board's letter mentioned above.

DA: As above.

(B.P.Gupta)
SDGM

Copy to **CME/ECR** - for information and ensuring compliance of JPO of Railway Board by field officials.

सुप्रप सं. 12/2013

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं.ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 07.05.2013

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय – कोच सफाई कार्य का टेस्ट चेक।

सन्दर्भ – कार्यकारी निदेशक/यांत्रिक अभि.(कोचिंग)/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.95/M(C)/141/1 Vol-II dtd.21/28.05.2010

एक सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि सहायक यांत्रिक अधिकारी के द्वारा माप-पुस्तिका में जांच किए गए विशिष्टि मद, रेल रेक और जांच किए जाने वाले दिन की तारीख को पृष्ठांकित नहीं किया गया। सामान्य पृष्ठांकन यथा '20% सैंपल चेक किया गया' रिकॉर्ड किया गया।

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र में यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों (स.यां.अ./सीडीओ तथा व.मं.यां.अ) द्वारा किए जाने वाले टेस्ट चेक का निर्धारण किया गया है।

यह सलाह दी जाती है कि जो भी कर्मचारी/अधिकारी कोचिंग डिपो में चेक करते हैं वे इस आशय के लिए रखी गई अनुबंध वार पंजिका में पृष्ठांकन/अभिलेखन अवश्य करें। ओबीएचएस के लिए रेलगाड़ी वार पर्यवेक्षकों का नामांकन जैसा कि रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र में उल्लिखित है, जारी किए जाएं तथा जांच के अभिलेख ठेके की पंजिका/संचिका में रखे जाएं।

किसी भी कमी के लिए ठेका के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई अवश्य की जाए। माप-पुस्तिका में टेस्ट चेक का अभिलेखन करने के समय पर्यवेक्षक तथा स.यां.अ./सी.डी.ओ. चेक किए मदों का विस्तृत विवरण यथा ट्रेन सं./रेक एवं चेक की तारीख का अवश्य उल्लेख करें। इसे बिल पास कर्ता कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

यह अनुरोध किया जाता है कि सभी मंडलों को उचित अनुदेश दिए जाएं।

(बी.पी.गुप्ता)
वरि.उप महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि –
सभी मरेप्र/पूमरे – धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

SIL No.-12/2013

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date: 07.05.2013

Chief Mechanical Engineer,
East Central Railway,
Hajipur

Sub:- Test check for the coach cleaning works.

Ref: Exe. Dir. Mech. Engg. (Coaching)/Rly. Board's letter no. 95/M(C)/141/1Vol.II dtd. 21/28.05.2010

During one of the vigilance investigation, it has been noted that the checks endorsed in measurement book by AME did not indicate the specific item, Train rake & date on which the test check was exercised. The general endorsement recorded was 20% checked as sample basis.

Railway Board vide letter under reference above has prescribed the test check on the contract work by supervisors & officers (AME/CDO & Sr. DME) of Mechanical deptt.

It is advised that officials making the check at coaching Depot must endorse/ record in the contract wise Registers maintained for this purpose by the depots. For the OBHS Train wise nomination of the Supervisor as envisaged in Rly. Board's letter under reference be issued & record of checks kept in the Register/file for the contract.

Action must be taken for any deficiency as per contract provisions. While recording test check in Measurement Book (MB) by supervisor & AME/CDO details of item checked with train no./Rake & date of check should be mentioned. This must be ensured by bill passing officials.

It is requested that suitable instruction be issued to all divisions.

(B.P. Gupta)
Sr. Dy. General Manager

Copy to:
DRMs/ECR- DHN, MGS, DNR, SEE & SPJ - for information and necessary action.

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.